लाह्य-अमल

(ख़ुद्दामुल अहमदिया का कार्यक्रम)

और हर एक के लिए एक लक्ष्य है जिसकी ओर वह ध्यान देता है ।
अत: नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ। (अल्-बक़र: 149)

प्रकाशक

दफ़्तर मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत

ख़ादिम (सेवक) का अहद (प्रतिज्ञा)

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

(अश्हदो अल्ला इलाहा इल्लल्लाहो वहदहू ला शरीकलहू व अश्हदो अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू)

"मैं इक़रार करता हूँ कि दीनी क़ौमी और मिल्ली मफ़ाद की ख़ातिर मैं अपनी जान, माल, वक्त और इ़ज्ज़त को क़ुरबान करने के लिए हर दम तैयार रहूँगा। इसी तरह ख़िलाफ़ते अहमदिया के कायम रखने की ख़ातिर हर क़ुरबानी के लिए हर दम तैयार रहूँगा और ख़लीफ़ा-ए-वक़्त जो भी मारूफ़ फ़ैसला फ़रमाएंगे उसकी पाबन्दी करनी ज़रूरी समझूँगा ।" (इन्शाअल्लाह तआला)

अहद का ढंग

ख़ुद्दाम (युवा संगठन के सदस्य) इस अहद को अपनी प्रत्येक समारोह और प्रत्येक आयोजन में सामूहिक तौर पर खड़े होकर दोहराया करें ।

समारोह या आयोजन में ख़ुद्दामुल अहमदिया में पद की दृष्टि से जो उच्च होगा वह यह अहद दोहराएगा ।

नोट :-अर्थ: दीनी-धार्मिक, मिल्ली-इस्लाम, मफ़ाद-हित, ख़ातिर-लिए, क़ुरबान-न्योछावर, मा"रूफ़-उचित ।

तशहदुद (उपर्युक्त अरबी इबारत) तीन बार दोहराया जाए, उस के बाद अहद एक बार दोहराया जाए ।

तिफ्ल (बच्चे) का वादा

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

(अश्हदो अल्ला इलाहा इल्लल्लाहो वहदहू ला शरीकलहू व अश्हदो अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू)

मैं वादा करता हूँ कि दीने इस्लाम और अहमदियत, क़ौम और वतन की ख़िदमत के लिए हर दम तैयार रहूँगा, हमेशा सच बोलूँगा, किसी को गाली नहीं दूंगा और हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह की तमाम नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करूंगा ।

(इन्शाअल्लाह तआला)

अत्फ़ाल (बच्चे) इस वादे को ज़ुबानी तौर पर याद करें।

नोट :- पन्द्रह वर्ष की आयु तक के बालक अत्फालुल अहमदिया की ज़ैली तंज़ीम में आते हैं।

प्राक्कथन

मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया की तंज़ीम अहमदिया जमाअत के निज़ाम में रीड़ की हड्डी के समान है और अल्लाह तआला का यह बहुत फज़ल तथा उपकार है कि मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पवित्र ख़ुलफा की निगरानी तथा दुआओं के छत्र छाया में अपनी उन्नति की मज़िलें तय कर रही है और फूलती, फलती तथा फैलती जा रही है। जब कि संसार के अधिकतर युवा संगठित क़यादत उपलब्ध न होने के कारण बिना ऊंठ के नकेल की तरह फिर रहे हैं। उन को उचित मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं। केवल जमाअत अहमदिया के ख़ुद्दाम तथा अत्फाल हैं जो ख़लीफा वक्त की दुआओं से रात दिन लाभांवित हो रहे हैं। और अपने भविष्य को उज्जवल से उज्जवल करते चले जा रहे हैं। प्रत्येक उच्च वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि क़ौमों की उन्नति उन के युवा से जुड़ी हैं। इस वास्तविकता के सम्मुख हज़रत मुस्लिह मौऊद ने मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया की बुनियाद रखी और हमें यह मोटो प्रदान फरमाया कि :

" क़ौमों का सुधार नौजवानों के सुधार के बिना संभव नहीं।"

इसी उद्देश्य के सम्मुख मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया सय्यदना हज़रत अमीरूल मोमिनीन के सीधे मार्ग दर्शन में ख़ुद्दाम तथा अत्फाल के सुधार तथा उन्नति के प्रोग्राम बनाती है। ताकि क़ौम के नौजवान उच्च चरित्रवान बन कर धर्म, क़ौम तथा मिल्लत के लाभ के लिए, सेवा के लिए तैय्यार हो सकें। इसी उद्देश्य के लिए मज्लिस की तरफ से लाए अमल प्रकाशित कराया जाता है। ताकि मज्लिसें इस लाह्य अमल के अनुसार कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और फिर अपने कामों से मरकज़ को सुचित करें ताकि सारी मज्लिसों का सार हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस (पंचम) अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रेहिल अज़ीज़ की सेवा में प्रस्तुत कर सके। प्यारे आक़ा हुज़ूर अनवर अपनी विभिन्न मीटिंगों में कई बार मरकज़ में रिपोर्ट भिजवाने के बारे में हिदायत फरमाते रहते हैं। एक अवसर पर प्यारे आक़ा ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए फरमाया कि " सारी मज्लिसों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सदर साहिब इन की सारी activity से सूचित हैं।

(मश्अले राह भाग 5 हिस्सा 3 पृष्ठ 48)

इसी प्रकार मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया नार्वे के साथ मीटिंग में हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रेहिल अज़ीज़ ने मोअतमिद मज्लिस से फरमाया कि

"प्यारे आक़ा के इन बरकतों वाले उपदेशों के वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि मज्लिसें इस लाह्य अमल के अनुसार काम करें और फिर अपने कामों से मरकज़ को ज़रूर सूचित करें। क्योंकि रिपोर्टें न भिजवाने की सूरत में मरकज़ को मज्लिस के कामों का ज्ञान नहीं होता इस प्रकार उचित रूप से ख़लीफा वक्त की दुआओं के हक़दार नहीं बना जा सकता।

लाह्य अमल में जहां विस्तार से मज्लिस के सारे कामों का विवरण किया गिया है वहां मज्लिस ने काम कैसे करने हैं उस का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस लिए इस अवसर पर जब कि मज्लिस की ओर से लाह्य अमल का प्रकाशन किया जा रहा है ख़ाकसार की मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया के समस्त उहदेदारों से निवेदन है कि वह लाह्य अमल को ध्यान पूर्वक पढ़ें और फिर लाह्य अमल के अनुसार अपनी मज्लिसों में साल भर की प्लानिंग करें और अपने कामों को इस की रोशनी में मज़बूत करें और क़ुरआन करीम के इस आदेश को सामने रखें कि नेकियों में आगे बढ़ो। ख़ुदा तआला के इस आदेश की रोशनी में हर उहदेदार इस बात का वादा करे कि मैंने लाह्य अमल के अनुसार अपने विभाग में नियमित रूप से काम करना है ताकि मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत एक साथ हुज़ूर अनवर की आशाओं के अनुसार एक लाह्य अमल के अनुसार काम करे तथा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। अल्लाह तआला सब को इस की तौफीक प्रदान करे। आमीन

लाह्य अमल का हिन्दी अनुवाद शेख़ मुजाहिद अहमद शास्त्री मुहतमिम इशाअत भारत ने किया है।

वस्सलाम

विनीत

(रफीक़ अहमद बेग)

सदर मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया, भारत ।

जमाअत के युवाओं से ख़िताब
हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ि. संस्थापक मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया तथा अत्फ़ालुल अहमदिया का
पद्यात्मक कलाम

नौनिहालाने जमाअत मुझे कुछ कहना है,
पर है यह शर्त कि ज़ाया मेरा पैग़ाम न हो ।

चाहता हूँ कि करूं चन्द नसाइह तुम को,
ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्ज़ाम न हो।

जब गुज़र जाएंगे हम तुम पर पड़ेगा सब बार,
सुस्तियां तर्क करो तालिबे आराम न हो ।
ख़िदमते दीन को इक फ़ज़्ले इलाही जानो,
उसके बदले में कभी तालिबे इन्आम न हो।

दिल में हो सोज़ तो आंखों में रवाँ हों आंसू,
तुम में इस्लाम का हो मग़्ज़ फ़क़त नाम न हो।

सर में नख़वत न हो आंखों में न हो बर्क़े ग़ज़ब,
दिल में कीना न हो लब पर कभी दुश्नाम न हो।

ख़ैर अन्देशी-ए-अहबाब रहे मद्दे नज़र,
ऐब चीनी न करो मुफ्सिदो नम्माम न हो।

छोड़ दो हिर्स करो ज़ुहदो क़नाअत पैदा,
ज़र न महबूब बने सीम दिल आराम न हो।

रग़बते दिल से हो पाबन्दे नमाज़ो रोज़ा,
नज़र अन्दाज़ कोई हिस्स-ए-अहकाम न हो।

पास हो माल तो दो उस से ज़कातो सदक़ा,
फ़िक्रे मिस्कीन रहे तुम को ग़मे अय्याम न हो।

हुस्न उसका नहीं खिलता तुम्हें यह याद रहे,
दौशे मुस्लिम पै अगर चादरे अहराम न हो।

आदते ज़िक्र भी डालो कि यह मुमकिन ही नहीं,
दिल में हो इश्क़े सनम लब पै मगर नाम न हो।

अ़क्ल को दीन पर हाकिम न बनाओ हरगिज़,
यह तो ख़ुद अन्धी है गर नय्यरे इल्हाम न हो।

जो सदाक़त भी हो तुम शौक़ से मानो उस को,
इल्म के नाम से पर ताबिए औहाम न हो।

दुश्मनी हो न मुहिब्बाने मुहम्मद(स) से तुम्हें,
जो मुआनिद हैं तुम्हें उन से कोई काम न हो।

अम्न के साथ रहो फ़ित्नों में हिस्सा मत लो,
बाइसे फ़िक्रो परेशानी-ए-हुक्काम न हो।

अपनी इस उम्र को एक ने"मते उ़ज्मा समझो,
बाद में ताकि तुम्हें शिक्वए अय्याम न हो।

हुस्न हर रंग में अच्छा है मगर ख़्याल रहे,
दाना समझे हो जिसे तुम वह कहीं दाम न हो।

तुम मुदब्बिर हो कि जरनैल हो या आलिम हो,
हम न खुश होंगे कभी तुम में गर इस्लाम न हो।

सैल्फ़ रेस्पैक्ट का भी ख़्याल रखो तुम बेशक,
यह न हो पर कि किसी शख़्स का इकराम न हो।

उस्र हो, युस्र हो, तंगी हो कि आसाइश हो,
कुछ भी हो बन्द मगर दा"वते इस्लाम न हो।

तुम ने दुनियां भी जो की फ़तह तो कुछ भी न किया,
ऩफ्स वहशीओ जफ़ाकश अगर राम न हो।

मन्नो अहसान से आ"माल को करना न ख़राब,
रिशत-ए-वस्ल कहीं क़ित्आ सरे बाम न हो।

भूलियो मत कि नज़ाकत है नसीबे निस्वां,
मर्द वह है जफ़ाकश हो गुल अन्दाम न हो।

शक्ल मै देख कि गिरना न मगस की मानिन्द,
देख लेना कि कहीं दुर्द तहे जाम न हो।

याद रखना कि कभी भी नहीं पाता इज्ज़त,
यार की राह में जब तक कोई बदनाम न हो।

काम मुश्किल है बहुत मन्ज़िल-ए-मक़सूद है दूर,
ऐ मेरे अहले वफ़ा सुस्त कभी गाम न हो।

गामज़न हो कि रहे सिद्क़ो वफ़ा पर गर तुम,
कोई मुश्किल न रहेगी जो सरअंजाम न हो।

हश्र के रोज़ न करना हमें रुस्वा-ओ-ख़राब,
प्यारो आमोख़्त-ए-दरसे वफ़ा ख़ाम न हो।

हम तो जिस तरह बने काम किए जाते हैं,
आपके वक्त में यह सिलसिला बदनाम न हो।

मेरी तो हक़ में तुम्हारे यह दुआ है प्यारो,
सर पै अल्लाह का साया रहे नाकाम न हो।

ज़ुल्मते रन्जो ग़मो दर्द से महफ़ूज़ रहो,
महरे अन्वार दरख़्शन्दा रहे शाम न हो

(कलामे महमूद)

ख़ुदा के एक बन्दे को आपकी तलाश है

*-क्या आप परिश्रम करना जानते हैं ? इतना परिश्रम कि दिन में तेरह-चौदह घंटे कार्य कर सकें ।

*-क्या आप सत्य बोलना जानते हैं ? इतना कि आप किसी परिस्थिति में झूठ न बोल सकें । आपके सामने आपका घनिष्ट मित्र और प्रियजन भी झूठ न बोल सके, आपके समक्ष कोई अपने झूठ का वीरतापूर्ण वृत्तान्त सुनाए तो आप उस पर घृणा प्रकट किए बिना न रह सकें ।

*-क्या आप झूठी सम्मानपूर्ण भावनाओं से पवित्र हैं ? गलियों में झाड़ू दे सकते हैं, बोझ उठाकर गलियों में फिर सकते हैं, ऊंचे स्वर से बाज़ारों में हर प्रकार की घोषणाएं कर सकते हैं, सारा-सारा दिन फिर सकते हैं तथा सारी-सारी रात जाग सकते हैं ?

*-क्या आप ऐतिकाफ़ कर सकते हैं ? जिसके अर्थ होते हैं:-

(अ) एक स्थान पर काफ़ी दिनों बैठे रहना ।

(ब) घंटों बैठे वज़ीफ़ा करते रहना ।

(ज) घंटों और दिनों किसी मनुष्य से बात न करना ।

*-क्या आप यात्रा कर सकते हैं ? अकेले अपना भार उठाकर बिना इसके

कि आपकी जेब में कोई पैसा हो, शत्रुओं और विरोधियों में ! अपरिचितों और अजनबियों में ! दिनों, सप्ताहों, महीनों ।

*-क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग प्रत्येक पराजय से ऊपर होते हैं वे पराजय का नाम सुनना पसन्द नहीं करते, वे पर्वतों को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे दरियाओं को खींच लाने पर तत्पर हो जाते हैं और क्या आप समझते हैं कि आप इस बलिदान के लिए तैयार हो सकते हैं ?

*-क्या आप में साहस है कि समस्त संसार कहे नहीं, और आप कहें हाँ ? आपके चारों ओर लोग हंसें और आप गंभीरता बनाए रखें, लोग आपके पीछे दौड़ें और कहें ठहर तो जा हम तुझे प्रताड़ित करेंगे और आपका पग दौड़ने के स्थान पर ठहर जाए और आप उसकी ओर सर झुकाकर कहें - लो मार लो, आप किसी की न मानें क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं परन्तु आप सब से स्वीकार करा लें क्योंकि आप सच्चे हैं ।

*-आप यह न कहते हों कि मैंने मेहनत की परन्तु ख़ुदा तआला ने मुझे असफल कर दिया अपितु प्रत्येक असफलता को अपना दोष समझते हों, आप विश्वास रखते हों कि जो परिश्रम करता है सफल होता है और जो सफल नहीं होता उसने परिश्रम कदापि नहीं किया ।

यदि आप ऐसे हैं तो आप अच्छे मुबल्लिग़ , अच्छे व्यापारी होने की योग्यता रखते हैं, परन्तु आप हैं कहाँ ? ख़ुदा के एक बन्दे को आपकी देर से तलाश है। हे अहमदी नौजवान ! खोज उस व्यक्ति को जो अपने प्रान्त में, अपने नगर में, अपने मुहल्ले में, अपने घर में, अपने हृदय में !!

मिर्ज़ा महमूद अहमद
(अलमुस्लेह अलमौऊद)

ख़ुद्दामुल अहमदिया-संगठन का संक्षिप्त परिचय

मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया अहमदी युवाओं का रूहानी संगठन है, जिस की स्थापना हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ि. के मार्ग-दर्शन के अधीन सन् 1317 हिज्री के प्रारंभ (1938 ई.) में हुई । इस संगठन में पन्द्रह से चालीस साल तक की आयु के प्रत्येक अहमदी नौजवानों का सम्मिलित होना अनिवार्य है, इस संगठन का प्रत्येक सदस्य ख़ादिम (सेवक) कहलाता है, इस संगठन के संरक्षण के अन्तर्गत सात से पन्द्रह साल तक की आयु के अहमदी बच्चों का एक पृथक संगठन "मज्लिस अत्फ़ालुल-अहमदिया" के नाम से स्थापित है जिसका प्रत्येक सदस्य "तिफ्ल" कहलाता है । इन दोनों संगठनों के समस्त मामलों के प्रमुख संरक्षक "सदर मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया" होते हैं जो निर्धारित बुनियादी नियमावली तथा हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं।

संगठन के प्रोग्राम को सरल तथा कार्य-कुशलता को उत्तम बनाने के लिए कार्य को अनेक विभागों में विभाजित किया गया है। केन्द्र में मज्लिस के सदर की सहायता के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त हैं :-

नायब सदर प्रथम, नायब सदर द्वितीय, मौ'तमिद (विश्वस्त), मुहतमिम (प्रबंधक) ख़िदमते ख़लक, मुहतमिम तालीम, मुहतमिम स्वास्थ्य, मुहतमिम वक़ारे अमल (श्रमदान), मुहतमिम व्यवसाय और व्यापार, मुहतमिम तहरीके जदीद, मुहतमिम अत्फ़ाल, मुहतमिम तब्लीग़, मुहतमिम तजनीद (नामांकन), मुहतमिम इशाअत (प्रकाशन), मुहतमिम मक़ामी (स्थानीय), सदर के दो सहायक,मुहासिब (अकाउन्टेन्ट)।

सैद्धान्तिक निर्देशों के अन्तर्गत मुल्क के उहदेदारों के लिए सैद्धान्तिक निर्देर्शों के अनुसार अपना प्रोग्राम बना कर उसके अनुसार ये विभाग कार्य करते हैं ।

नोट :- दफतर संबंधी समस्त ख़त तथा मासिक कार्यवाही की रिपोर्ट मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत के "मौ'तमिद" (विश्वस्त) के नाम भिजवाई जाती हैं ।

मक़ामी (स्थानीय) तंज़ीम

मज्लिस

प्रत्येक उस स्थान पर जहाँ एक से अधिक ख़ुद्दाम रहते हों अथवा एक ख़ादिम और दो अत्फ़ाल हों वहाँ स्थानीय मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया का स्थापित होना आवश्यक है । प्रत्येक स्थानीय मज्लिस का लीडर "क़ायद" कहलाता है। "क़ायद" की सहायता के लिए मुल्की "मज्लिसे आमिला" की भांति एक स्थानीय "मज्लिसे आमिला" नियुक्त होती है जिसके सदस्य "नाज़िमीन" (संयोजक) कहलाते हैं। प्रत्येक नाज़िम अपने-अपने विभाग के संरक्षण का उत्तरदायी होता है, प्रत्येक मज्लिस के लिए आवश्यक है कि मासिक कार्य की रिपोर्ट केन्द्रीय दफतर को भेजे।

हलक़ा (क्षेत्र)

यदि नेतृत्व का क्षेत्र बहुत विशाल हो या ख़ुद्दाम की संख्या इतनी अधिक हो कि सामूहिक व्यवस्था कठिन हो तो उस मज्लिस के क्षेत्र को उचित कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र की मज्लिस के संरक्षक को "ज़ईम" (लीडर) कहा जाता है और उसके कार्यकर्ता "नायब ज़ईम" तथा "मुंतज़िमीन" होते हैं ।

हिज़्ब (अंग)

प्रत्येक मज्लिस में स्थिति के अनुसार कम से कम दस ख़ुद्दाम पर आधारित हिज़्ब बना कर उनके संरक्षण के लिए "साइक़" नियुक्त किए जाते हैं। कोई भी ख़ादिम चाहे वह "क़ायद" हो या कोई अन्य पदाधिकारी हिज्ब के विभाजन से बाहर नहीं रहना चाहिए। यह हिज़्ब के तौर पर विभाजन हमारी व्यवस्था की जान है। अत: इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, प्रत्येक "साइक" का कर्तव्य होता है कि वह स्थानीय "क़ायद" और "ज़ईम" के आदेशों के अनुसार अपने हिज़्ब में सम्मिलित ख़ुद्दाम से पूर्ण रूप से संबंध रखे तथा समस्त विभागों में उन की कार्य-कुशलता की उचित निगरानी और मार्ग-दर्शन करता रहे।

उहदेदारों की नियुक्ति

स्थानीय "क़ायद" और क्षेत्र के "ज़ईम" चुनाव द्वारा चुने जाते हैं जिसकी

मंज़ूरी सदर मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत से प्राप्त की जाती है । स्थानीय "क़ायद" का चुनाव दो साल के लिए और क्षेत्र के "ज़ईम" का चुनाव एक साल के लिए होता है दूसरे सारे उहदेदार चुने जाते हैं तथा उनकी नियुक्ति का समय एक साल होता है ।

याद रहे कि ख़ुद्दामुल अहमदिया का साल प्रथम नुबुव्वत (नवम्बर) से आरंभ होता है और 31 इख़ा (अक्टूबर) को समाप्त होता है ।

स्थानीय "क़ायद" हर साल "स्थानीय मज्लिसे आमिला" (कार्यकारिणी समिति) बना कर उसकी मंज़ूरी मज्लिस के सदर से लेती है, क्षेत्र की स्थानीय "मज्लिसे आमिला" को "ज़ईम" प्रस्तावित करता है तथा उसकी मंज़ूरी "स्थानीय क़ायद" से प्राप्त की जाती है ।

क्षेत्र/ज़िला की तंज़ीम का दायित्व

मज्लिस के सदर की ओर से आवश्यकतानुसार देश के किसी भी क्षेत्र/ज़िला की मज्लिसों के सामान्य निरीक्षण के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त होता है जो क्रमानुसार क्षेत्रीय/ज़िला का "क़ायद" कहलाता है। "क्षेत्रीय/ज़िला" के क़ायद का कर्तव्य है कि वह अपने-अपने क्षेत्रीय/ज़िला की मज्लिसों की जांच-पड़ताल करते रहें कि क्या वे केन्द्रीय दफतर की हिदायतों का पालन कर रही हैं तथा सुस्त मज्लिसों को जागरूक करते रहें। "क्षेत्रीय/ज़िला के क़ाइद" भी आवश्यकतानुसार स्थानीय क़ाइदों की भाँति अपने साथ कार्य करने के लिए क्षेत्रीय/ज़िला के स्तर पर "मज्लिसे आमिला" नियुक्त कर सकते हैं, जिस की मंज़ूरी "सदर मज्लिस" से प्राप्त की जाती है ।

नई मज्लिसों को स्थापित करने का तरीक़ा

प्रत्येक उस स्थान पर जहाँ कम से कम दो ख़ुद्दाम या एक ख़ादिम और दो अत्फ़ाल हों वहां "मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया" स्थापित होनी चाहिए, यद्यपि "क्षेत्रीय/ज़िला के क़ाइदों" का प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वे अपने क्षेत्र के ऐसे समस्त स्थानों पर मज्लिस स्थापित करें तथापि "स्थानीय क़ाइदों" और अन्य ख़ुद्दाम को भी अपने आस-पास की जांच-पड़ताल करते रहना चाहिए और जिस समय किसी ऐसे स्थान का ज्ञान हो तुरन्त केन्द्रीय दफतर और क्षेत्रीय/ज़िला के "क़ाइद" को सूचित करना चाहिए ताकि वहाँ मज्लिस

को स्थापित किया जा सके ।

यह बात याद रखनी चाहिए कि प्रत्येक ख़ादिम और तिफ़्ल का किसी न किसी मज्लिस से संबंध रहना आवश्यक है, इसलिए यदि किसी स्थान पर संख्या में कमी या किसी अन्य विशेष कारण से मज्लिस की स्थापना कठिन दिखाई दे तो क्षेत्रीय/ज़िला के "क़ाइद" केन्द्रीय दफतर की आज्ञा से उस स्थान के ख़ुद्दाम को निकटस्थ मज्लिस में सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसे ख़ुद्दाम जो अकेले ही अपने स्थान पर रहते हैं और किसी मज्लिस में नियमित रूप से सम्मिलित नहीं हो सकते उन से सम्पर्क स्थापित किया जाए तथा उनके पते केन्द्रीय दफतर में भिजवाए जाएं।

चुनाव(इन्तख़ाब) के नियम

1."क़ाइद" का चुनाव मज्लिस के केन्द्रीय प्रतिनिधि, प्रान्तीय/मंडलीय (ज़ोनल) क़ाइद, अमीर और सदर जमाअत की सदारत में होना चाहिए । उनमें से एक से अधिक की हाज़री में उपर्युक्त क्रम का ध्यान रखना आवश्यक होगा तथा किसी ऐसे ख़ादिम की अध्यक्षता में कोई चुनाव नहीं होगा जिसमें उसका अपना नाम प्रस्तुत हो सकता हो । क्षेत्र के "ज़ईम" का चुनाव स्थानीय "क़ाइद" या उसके किसी प्रतिनिधि की अध्यक्षता में हो सकता है।

2.जिस ख़ादिम का नाम क़यादत (नेतृत्व) या ज़आमत के लिए पेश किया जाए वह पांचों समय की नमाज़ का पाबन्द हो, क़ुरआन करीम पढ़ना जानता हो, देहाती और नए बैअत करने वालों की मज्लिसों में यदि पूरा क़ुरआन करीम देखकर पढ़ना जानने वाला न हो तो उसके लिए यह शर्त होगी कि वह क़ुरआन करीम देखकर पढ़ना सीख रहा हो, जमाअत और मज्लिस के लाज़मी चन्दों की अदायगी में नियमित हो, सच्च बोलने वाला, ईमानदार और मज्लिस के निज़ाम का पालन करने वाला हो, दाढ़ी न मुंडवाता हो (यदि किसी स्थान पर दाढ़ी वाला उचित ख़ादिम न मिले तो फिर केन्द्र से अपवाद स्वरूप उसकी मंज़ूरी ली जा सकती है) ।

3."स्थानीय क़ाइद" का चुनाव दो साल के लिए होता है और कोई ख़ादिम निरन्तर तीन बार से अधिक निर्वाचित न हो सकेगा सिवाए इसके कि विशेष परिस्थितियों में सदर मज्लिस से इसकी पहले इजाज़त(आज्ञा) प्राप्त कर ली

गई हो। क्षेत्र के "ज़ईम" का चुनाव एक साल के लिए होता है और कोई ख़ादिम इस पद के लिए निरन्तर चार बार से अधिक चुना नहीं जा सकता है। दोनों परिस्थितियों में पांचवें साल परिवर्तन अनिवार्य है।

4.यह चुनाव घोषणात्मक तौर पर होना चाहिए (अर्थात् हाथ खड़ा करके)। ऐसे अवसर पर किसी के विरुद्ध प्रचार करना अरुचिकर और अनुचित है। ऐसा करने वाले के संबंध में यदि किसी को ज्ञान हो तो उसकी सूचना केन्द्र को पहुँचानी चाहिए। इसी प्रकार ऐसे चुनावों के अवसर पर निष्पक्ष रहना भी उचित नहीं, किसी न किसी के पक्ष में अपना वोट अवश्य प्रयोग किया जाए।

5.चुनावों की रिपोर्ट "सदर मज्लिस" की सेवा में निर्धारित फ़ार्म पर आनी चाहिए। सदर मज्लिस को चुनावों को मंज़ूर करने अथवा न करने का अधिकार है। सदर मज्लिस से मंज़ूरी आने तक पूर्व पदाधिकारी ही कार्यरत रहेंगे।

मज्लिसे शूरा (परामर्श समिति)

यह वह केन्द्रीय परामर्श विभाग है जिस में ख़ुद्दामुल अहमदिया के संबंधित महत्त्वपूर्ण कार्य तथा मज्लिसों की ओर से आने वाले प्रस्ताव (जिन्हें मज्लिसें अपनी सामान्य बैठकों में प्रस्तुत करके केन्द्र को भेजती हैं) पर विचार विमर्श किया जाता है तथा यह विभाग आय-व्यय के बजट की भी जांच-पड़ताल करता है । मज्लिसे शूरा (परामर्श समिति) में ही "सदर मज्लिस" का चुनाव भी किया जाता है । मज्लिसे शूरा का अधिवेशन प्रति साल केन्द्रीय सालाना इज्तिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है तथा इसके फ़ैसले नियामानुसार हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह की मंज़ूरी के बाद लागू होते हैं ।

शूरा के लिए प्रत्येक मज्लिस अपने ख़ुद्दाम की संख्या की दृष्टि से बीस या बीस से टूटने वाली संख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन करती है । प्रत्येक मज्लिस का "क़ाइद" अपने पद के अनुसार "मज्लिसे शूरा" का सदस्य होता है, परन्तु वह प्रतिनिधियों की इस संख्या में सम्मिलित होगा जिसकी किसी मज्लिस को अपनी संख्यानुसार अनुमति होती है। मज्लिस के क़ाइद का नायब मज्लिसे शूरा का प्रतिनिधि नहीं होता सिवाए इसके कि वह चुना गया हो। शूरा के लिए चुना गया मेम्बर साल भर के लिए शूरा का मेम्बर होता है।

ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल की मज्लिसों की तुलना

प्रान्तीय/मंडलीय, स्थानीय तथा विशेष पुरस्कार का मापदण्ड

ख़ुद्दामुल अहमदिया और अत्फ़ालुल अहमदिया भारत की सारी मज्लिसों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत के दफ्तर की ओर से प्रतिवर्ष उन की कार्यकुशलता का विस्तृत निरीक्षण करके प्रथम दस पोज़ीशन प्राप्त करने वाली मज्लिसों को विशेष प्रमाण-पत्र दिए जाएँगे जिन पर सदर मज्लिस के अतिरिक्त सय्यदना हुज़ूर अन्वर के मुबारक हस्ताक्षर भी होंगे तथा सामूहिक तौर पर प्रथम आने वाली मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया को जारी रहने वाले पुरस्कार के तौर पर एक साल के लिए ख़िलाफ़त जुबली इनामी झण्डा दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मज्लिस को पूरा प्रयास करना चाहिए। विशेष पुरस्कार के निर्धारित मापदण्ड कार्यक्रम के अन्त में लिख दिए गए हैं ताकि मज्लिसें उनके अनुसार कार्य करें।

क्षेत्रीय/मंडलीय नेतृत्व की सालाना कार्य-कुशलता की भी तुलना होती है तथा प्रथम पांच पोज़ीशन प्राप्त करने वाले "क़ाइदों" को भी विशेष प्रमाण-पत्र दिए जाएँगे ।

मज्लिस की पुस्तकें

मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत के दफ्तर की ओर से ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत की मज्लिसों को निम्नलिखित पुस्तकें आवश्यकतानुसार भिजवाई जाती हैं :-

1."दस्तूरे असासी" (बुनियादी नियामावली) तथा मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया तथा अत्फ़ालुल अहमदिया का कार्यक्रम

2. मासिक रिपोर्ट फ़ार्म ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल ।

3. तजनीद (नामांकन) फ़ार्म ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल।

4. बजट फ़ार्म ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल ।

5. फ़ार्म खाता तथा रोज़ नामचा ।

6. ख़ुद्दामुल अहमदिया के चन्दे की रसीद बुक्स ।

मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत ने ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल के प्रशिक्षण

हेतु कुछ धार्मिक पुस्तकें (मश्अले-राह, ख़िलाफ़ते अहमदिया के बारे में जानकारियां, अख़्लाक़-ए-अहमद (अहमद के शिष्टाचार) प्रकाशित की हैं तथा मासिक उर्दू पत्रिका "मिश्कात" तथा हिन्दी पत्रिका "राहे ईमान" वी.पी. या मूल्य भिजवाने पर भेजी जाती हैं।

क़ाइद ध्यान दें

1. सारे उहदेदारों से दस्तूर-ए-असासी, ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल का कार्यक्रम तथा विशेष पुरस्कार के मापदण्ड का अध्ययन कराएं । रिफ्रेशर क्लास लगाकर नियम अनुसार परीक्षा ली जाए और परिणाम केन्द्रीय दफतर को भिजवाया जाए ।

2.जिन क़ाइदों ने जारी साल की नई मज्लिसे आमिला की मंज़ूरी हासिल नहीं की वे शीघ्र मज्लिसे-आमिला बनाकर मंज़ूरी प्राप्त करें ।

3.मासिक कार्यों की रिपोर्ट अगले माह की पांच तारीख तक, इसी प्रकार नामांकन और बजट का निर्धारण छपे हुए फ़ार्म पर पूर्ण करके 31, दिसम्बर तक केन्द्र को भेज दें।

मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया का कार्यक्रम

ख़ुद्दामुल अहमदिया के उहदेदारों के लिए विभिन्न विभागों के अनुसार निर्देशन और जानकारियां।

एतमाद विभाग

1.**चुनाव**

स्थानीय क़ाइदों के चुनाव हर दो साल के बाद पूर्व क़ाइद की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पूर्व 15, सितम्बर से प्रथम अक्टूबर तक होंगे। नए पदाधिकारी मंज़ूरी होने के बाद प्रथम नवम्बर से चार्ज लेंगे। सारी वे मज्लिसें जिन में वर्तमान अवधि के लिए क़ाइदों का चुनाव नहीं हुआ वहां शीघ्र नियमानुसार चुनाव करवा कर सदर मज्लिस से मंज़ूरी प्राप्त कर लें। इसी प्रकार जो मज्लिसें क्षेत्रों में विभाजित है उनमें अगले साल के लिए ज़ईमों के चुनाव भी शीघ्र सम्पन्न हो जाने चाहिए तथा साल के मध्य जिस स्थान और जब भी क़ाइद या ज़ईम के नए चुनाव की आवश्यकता हो तो उस में देरी नहीं होना चाहिए ताकि मज्लिस के सम्पूर्ण सुधार-योग्य उद्देश्यों को व्यावहारिक

रूप में लाने के लिए किसी प्रकार की हानि न हो।

2.**उहदेदारों की नियुक्ति**

क़ाइदों के लिए आवश्यक है कि वे नियमानुसार स्थानीय मज्लिसे आमिला बनाकर केन्द्रीय दफतर से समय पर मंज़ूरी प्राप्त कर लिया करें, इसी प्रकार क्षेत्रों के ज़ईम यथा समय मज्लिसे आमिला बनाकर मज्लिसों के क़ाइदों से मंज़ूरी प्राप्त कर लिया करें ।

3. **मज्लिस का दफतर**

यथा सम्भव प्रत्येक मज्लिस का एक दफतर हो। जिसमें समस्त पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों को भली-भांति सम्पन्न कर सकें तथा मज्लिस का सम्पूर्ण रिकार्ड वहां सुरक्षित रखा जा सके।

4. **मीटिंगें**

* हर महीने मज्लिसे आमिला की एक मीटिंग हो।

* प्रत्येक मज्लिस महीने में कम से कम एक बार सामान्य मीटिंग का आयोजन करे, मज्लिस के क्षेत्रों में विभाजन की स्थिति में इस मीटिंग के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र की पृथक मीटिंगस भी अवश्य होना चाहिए। इन सामान्य मीटिंगस में क्षेत्र के समस्त ख़ुद्दाम को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाए ।

* अत्फ़ाल की अलग मीटिंग की नितान्त आवश्यकता है।

* स्थानीय और क्षेत्रीय मज्लिसों की इन समस्त मीटिंग्स की कार्यवाही नियमानुसार एक रजिस्टर में रिकार्ड की जाए ताकि केन्द्रीय प्रतिनिधि अपने दौरे के समय इस रजिस्टर के द्वारा कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सकें तथा इन समस्त मीटिंग्स की कार्यवाहियों की एक प्रति केन्द्रीय दफतर को भिजवाई जाए।

5. **मासिक कार्य-कुशलता रिपोर्ट**

प्रत्येक मज्लिस की मासिक कार्य-कुशलता रिपोर्ट अगले माह की 5 तारीख तक केन्द्रीय दफतर में भिजवाना आवश्यक है। निर्धारित कार्य-कुशलता रिपोर्ट फ़ार्म को निश्चित संख्याओं के साथ भरा जाए तथा फ़ार्म भरते समय इन बातों का वर्णन करना हरगिज़ न भूलें जिनके सन्दर्भ में पिछली रिपोर्ट पर समीक्षा

करते समय पूछा गया हो। मज्लिसों के "क़ाइद" अपनी मासिक रिपोर्ट की एक प्रति अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखें और एक प्रति क्षेत्रीय/मंडलीय क़ाइदों को अवश्य भेजें। सामान्य विभाग का विवरण तथा मज्लिसे आमिला की बैठक और मासिक सामान्य बैठक की रिपोर्ट अलग भिजवाई जाए।

6. **इज्तिमा**

ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल की छुपी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए तथा उन में स्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए साल में एक बार स्थानीय तौर पर इज्तिमा का आयोजन किया जाता है। केन्द्रीय दफतर की ओर से इज्तिमा का प्रोग्राम साल के आरंभ में ही सारी मज्लिसों को भिजवा दिया जाता है जिसके अनुसार मज्लिसें अपने यहां विभिन्न ज्ञान वर्धक तथा व्यायाम संबंधी मुक़ाबले आयोजित करती हैं जिस में उस क्षेत्र/मंडल की समस्त मज्लिसों का प्रतिनिधित्व और सम्मिलित होना आवश्यक है। इज्तिमा की तारीखों की इजाज़त केन्द्रीय दफतर से प्राप्त की जाती है। ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल का उत्साह बढ़ाने के लिए सदर मज्लिस या उनका कोई प्रतिनिधि क्षेत्रीय/मंडलीय (ज़ोनल) समारोह में सम्मिलित होते हैं।

7. **सम्पत्ति की सुरक्षा**

प्रत्येक मज्लिस के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति उदाहरणतया दफतर संबंधी रिकार्ड, रसीद बुक्स, रोज़नामचा तथा खाता, पुस्तकें तथा सामान इत्यादि का नियामानुसार रिकार्ड रखे। नेतृत्व परिवर्तन के समय इस रिकार्ड के अनुसार चार्ज का हस्तान्तरण मज्लिस या जमाअत के किसी उच्च पदाधिकारी की उपस्थिति में किया जाए जिसकी नक़ल केन्द्रीय दफतर को भिजवाई जाए ।

8. मौ"तमिद के मुख्य कर्तव्य

(क) मौ"तमिद अपनी मज्लिस की सम्पूर्ण कार्यवाही का रिकार्ड तथा केन्द्रीय प्रकाशित सरकुलरर्ज़, सम्पूर्ण डाक का रिकार्ड तथा मज्लिस की हर प्रकार की सम्पत्ति सुरक्षित रखने और केन्द्रीय दफतर को अपनी रिपोर्ट यथासमय भिजवाने का उत्तरदायी होगा ।

(ख) केन्द्रीय दफतर से आने वाले प्रत्येक पत्र में पूछी गई बातों का

यथासमय उत्तर देना प्रत्येक मज्लिस के लिए आवश्यक है। इस सन्दर्भ में मौ"तमिद उत्तरदायी होगा ।

(ग) मौ"तमिद इस बात का उत्तरदायी होगा कि नाज़िमों और ज़ईमों से हर महीने उनकी रिपोर्ट प्राप्त करे ।

(घ) प्रत्येक मौ"तमिद के पास एक "लाल किताब" विशेष रजिस्टर हो जिसमें मज्लिस से संबंधित कार्यों में गुणवत्ता पैदा करने के प्रस्ताव और पूर्व अनुभवों के आधार पर कमियों की और संकेत करना तथा उनके सुधार के उपायों का उल्लेख हो ताकि नए आने वाले पदाधिकारी उस से मार्ग-दर्शन प्राप्त कर सकें ।

9. सालाना कार्य-कुशलता रिपोर्ट

सालाना कार्य-कुशलता रिपोर्ट सम्मेलन की तिथि से डेढ़ माह पूर्व "दफतर ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत" में पहुँचनी आवश्यक है। यह रिपोर्ट सम्पादित करने के उचित ढंग यह है कि प्रत्येक मासिक कार्य-कुशलता रिपोर्ट की एक प्रति स्थानीय तौर पर सुरक्षित रखी जाए तथा समस्त रिपोर्टों का एक संक्षिप्त सारांश निकालकर सालाना कार्य-कुशलता रिपोर्ट तैयार की जाए। सालाना रिपोर्ट तैयार करते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि वर्ष के मध्य प्रत्येक विभाग की कार्य-कुशलता का संक्षिप्त सारांश निश्चित क्रम और आवश्यक स्पष्टीकरणों के साथ तैयार हो। जैसे वक़ारे अमल (श्रमदान) विभाग के अन्तर्गत लिखा जाए कि वर्ष के मध्य अमुक-अमुक स्थान पर इस प्रकार के इतने वक़ारे अमल हुए और उनमें सामूहिक तौर पर इतने प्रतिशत उपस्थिति रही।

10. केन्द्रीय सालाना समारोह में प्रतिनिधित्व

ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत का केन्द्रीय सालाना समारोह जैसे इख़ा (अक्टूबर) महीने में क़ादियान में आयोजित होता है। इस अवसर पर ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल निर्धारित प्रोग्राम के अन्तर्गत अपना समय व्यतीत करते हैं। ज्ञान और प्रशिक्षण संबंधी भाषणों के अतिरिक्त अनेक ज्ञान वर्धक तथा व्यायाम संबंधी मुक़ाबले कराए जाते हैं तथा हमारा यह केन्द्रीय सालाना समारोह शुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक समारोह है जो जमाअत अहमदिया के युवाओं और बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए

आयोजित किया जाता है। इस समारोह के अत्यन्त महत्त्व और लाभ की दृष्टि से सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह तृतीय रहिमहुल्लाह ने यह आग्रहपूर्ण उपदेश दिया था कि:-

"हमारा उद्देश्य हमें केवल उस समय प्राप्त हो सकता है जब हम यह प्रयत्न करें और हमारा आदर्श और परम्परा यह हो कि इन समारोहों में प्रत्येक जमाअत का प्रतिनिधित्व अवश्य हो और यह कम से कम मापदण्ड है ।"

आदरणीय क़ाइदो ! इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वे न केवल स्वयं इस मुबारक आध्यात्मिक समारोह में सम्मिलित हों अपितु अपनी मज्लिस के अधिकाधिक ख़ुद्दाम विशेषकर नवीन बैअत करने वालों को भी सम्मिलित करने का प्रयास करें । स्पष्ट रहे कि यह भी देखा जाता है कि पिछले सालाना समारोह में मज्लिसों का कितना प्रतिनिधित्व रहा ।

नामांकन(तजनीद) विभाग

1.समस्त मज्लिसें प्रति वर्ष अपने कुल ख़ुद्दाम के निम्नलिखित विवरण एक नामांकन रजिस्टर में लिखें : नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि तथा वर्ष, बैअत की तिथि, शैक्षणिक योग्यता, क़ुर्आन करीम नाज़िर: (देखकर पढ़ना) का ज्ञान, क़ुर्आन करीम का अनुवाद सहित ज्ञान, तफसीर (व्याख्या) का ज्ञान, अनुवाद सहित नमाज़ का ज्ञान, व्यवसाय, मासिक आय, वसीयतकर्ता (मूसी) या वसीयत न करने वाला (ग़ैर मूसी) वक़्फ जदीद और तहरीक जदीद में सम्मिलित ? तहरीक वक़्फ़ नौ में सम्मिलित हैं ? ड्राइविंग और साइकिल चलाने का ज्ञान है ? कम्प्यूटर का ज्ञान, तैरने का ज्ञान ? आयु 40 वर्ष कब हो रही है? विवाहित अथवा अविवाहित, ब्लड ग्रुप, किस कला में निपुण हैं? शैक्षणिक विशेष योग्यता, स्थायी पता, ख़ुद्दामुल अहमदिया में पद, जमाअत का पद, जमाअत की रजिस्ट्रेशन नम्बर ।

2. नाज़िम नामांकन (तज्नीद) इस बात का उत्तरदायी होगा कि नामांकन (तजनीद) के रजिस्टर हर समय पूर्ण रहें और उसके क्षेत्र में 15 से 40 वर्ष की आयु का कोई युवा ऐसा न रहे जिसे ख़ुद्दामुल अहमदिया के संगठन में सम्मिलित न किया गया हो।

3.समस्त मज्लिसें जारी वर्ष का नामांकन फ़ार्म पूर्ण करके माह दिसम्बर

(फ़तह) के अन्त तक केन्द्रीय दफतर को भेज दें और उसकी एक प्रति क्षेत्रीय/ ज़िला के क़ाइद को भिजवाई जाए और एक प्रति अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखें। नामांकन (तज्नीद) फ़ार्म तैयार करते ही साथ ही उनकी मासिक आय का पूर्ण विवरण तथा चन्दों का विवरण भी लिख दिया जाए। इसके लिए नाज़िम माल या सैक्रेटरी माल से सहयोग लिया जाए।

4.जिन मज्लिसों में ख़ुद्दाम की संख्या 15 से अधिक हो वहां उन्हें दस-दस के ग्रुप में विभाजित करके प्रत्येक ग्रुप पर एक "साइक़" बतौर निरीक्षक नियुक्त किया जाए । ग्रुप (हिज्ब) के प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए । ग्रुपों के नाम उत्तम शिष्टाचारों या बुज़ुर्गों के नामों पर भी रखे जा सकते हैं । जैसे सदाक़त, शुजाअत, दयानत, ज़हानत या उमर, तारिक़, ख़ालिद इत्यादि ।

5.जो अत्फ़ाल पूरे वर्ष में 31, अक्टूबर तक किसी तारीख को 15 वर्ष की आयु तक पहुँच जाएं, उन्हें नए वर्ष के आरंभ प्रथम नवम्बर से ख़ुद्दामुल अहमदिया का सदस्य बना लिया जाए ।40 वर्ष को पहुँचने वाले ख़ुद्दाम को अगले शम्सी वर्ष के पहले दिन अर्थात् प्रथम सुलह (जनवरी) को मज्लिस अन्सारुल्लाह में सम्मिलित होने के लिए भेज दिया जाए ।

6.प्रत्येक ख़ादिम का कर्तव्य है कि वह कोई मज्लिस छोड़ने से पूर्व अपने क़ाइद को सूचित करे और परिवर्तन के बाद जिस मज्लिस में जाए उसके क़ाइद को भी तुरन्त सूचित करे।

प्रशिक्षण (तरबियत) विभाग

1.इस विभाग का उद्देश्य यह है कि अहमदी युवाओं का प्रशिक्षण इस रंग में किया जाए कि वे क़ुर्आनी आदेशों तथा उच्च सदाचारों और नियमों की पाबन्दी करें, उनमें क़ौमी भावना पैदा हो, ख़ुदा तआला से जीवित संबंध, ख़ुदा के एकेश्वरवाद के लिए स्वाभिमान, ख़ुदा तआला से वफ़ादारी और भरोसा, उनमें आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से प्रेम तथा ख़ुदा की सृष्टि से सहानुभूति की भावना उत्तेजित हो और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अवतरित होने का वास्तविक उद्देश्य उन के द्वारा पूर्ण हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जा सकते हैं :-

(1) प्रशिक्षण संबंधी (तरबियती) तकरीरें ।

(2) प्रशिक्षण संबंधी लेख ।

(3) अधिकारियों के निरीक्षण संबंधी भ्रमण।

(4) पत्र और सरकुलर।

(5) प्रशिक्षण संबंधी विषयों पर आधारित पम्फलट तथा घोषणाएं।

(6) व्यक्तिगत मेल-मिलाप।

(7) प्रशिक्षण क्लासिज़।

(8)ख़ुद्दाम के लिए विद्वानों (उलमा) और बुज़ुर्गान की संगत के अवसर।

(9) नज़ारत इस्लाह व इरशाद, अन्सारुल्लाह इत्यादि से सम्पर्क और सहयोग।

(10) हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें, जमाअत का लिट्रेचर, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का अध्ययन।

(11) वर्ष में कम से कम एक बार अहमदियत के केन्द्र क़ादियान में पवित्र स्थानों के दर्शन हेतु आना।

(12) हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अय्यदहुल्लाह बिनस्रेहिल अज़ीज़ की सेवा में दुआ के लिए पत्र।

(13) सामाजिक सुधार की विपरीत प्रवृति पर दृष्टि रखते हुए उन से बचाव के यथा समय उपाय करना।

(14) हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह के ख़ुत्बात और भाषण तथा प्रश्नोत्तर की सभाएं और मुलाक़ात के प्रोग्रामों का सुनना और देखना।

(15) एम.टी.ए. के प्रोग्रामों से भरपूर लाभान्वित होना (यदि किसी मज्लिस में एम.टी.ए. देखने की सुविधा उपलब्ध न हो तो इसके लिए कार्यवाही करें)।

(16) जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने की पाबन्दी।

(17) हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अय्यदहुल्लाह के आदेशों को शीघ्र प्रत्येक ख़ादिम तक पहुँचाना ।

(18) नशे वाली वस्तुओं तथा अन्य समाजिक बुराइयों से बचने की नसीहत करना ।

नोट :- प्रशिक्षण और सुधार हेतु जो उपाय किए जाएं, प्रत्येक महीने की रिपोर्ट में उनका उल्लेख करना आवश्यक है।

2. **शिक्षा तथा प्रशिक्षण क्लासिज़ और मीटिंग्स:**

प्रत्येक मज्लिस वर्ष के मध्य मौसमी छुट्टियां या परिस्थिति के अनुसार अपने यहां शिक्षा तथा प्रशिक्षण संबंधी क्लासिज़ और माह अगस्त तक मीटिंग्स का आयोजन अवश्य करें। इसी प्रकार क्षेत्रीय/ ज़िला की स्तर पर भी सालाना समारोह का आयोजन अवश्य करें, कम से कम एक पन्द्रह दिवसीय स्थानीय प्रशिक्षण क्लास का आयोजन करें।

3. **वक़्फ़ आरज़ी की मुबारक स्कीम :** यह स्कीम जमाअत के सदस्यों के लिए विशेषकर युवाओं और बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण का एक उत्तम और प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है, जिसके प्रसन्न करने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। अत: प्रत्येक मज्लिस इस मुबारक स्कीम में ख़ुद्दाम को अधिक से अधिक भाग लेने की नसीहत करे और विशेषकर अपने निकटवर्ती क्षेत्र में वक़्फ़ आरज़ी के अन्तर्गत अवश्य सेवा करें ।

4.**मुस्लिम टेलीवीज़न अहमदिया इंटरनेशनल:**

ज़रूरत इस बात की है कि हम अधिक से अधिक उसके कार्यक्रमों को देखें विशेषकर हुज़ूर अन्वर के ख़ुतबात और भाषण तथा मज्लिसे इरफ़ान इत्यादि से भरपूर लाभ उठाएं और दूसरों को भी इस नैमत से लाभ पहुँचाएं तथा एम.टी.ए. के लिए अपनी ओर से अच्छे और ज्ञान वर्धक कार्यक्रम तैयार करके भिजवाएं। हर मज्लिस का फर्ज़ है कि वह साल के शुरु में ही जायज़ा ले कि मज्लिस के कितने घरों में एम टी ए का प्रबन्ध नहीं है। जिन घरानों में एम टी ए का प्रबन्ध नहीं है इन घरानों का विवरण केन्द्र में लिख कर भिजवाएं और शीघ्र ही सारे घरों में लगाने की कोशिश करें।

5. इन्टरनेट तथा नए पत्राचार के साधनों का प्रयोग:

मज्लिसों का फर्ज़ है कि ख़ुद्दाम को इस ओर घ्यान दिलाएं कि वर्तमान ज़माने के आविष्कारों से ख़ुल्फाए कराम के बरकतों वाले आदेशों की रोशनी में उचित रूप से लाभ उठाने वाले हों

6 तहरीक वक़्फ़ नौ :: सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रहमहुल्लाहो तआला ने जमाअत पर आने वाले प्रशिक्षण संबंधी भावी

उत्तरदायित्वों की दृष्टि से अल्लाह तआला की इच्छानुसार एक ख़ुदाई सेना की तैयारी के लिए दिनांक 3, अप्रैल 1987 ई. को तहरीक वक़्फ़े नौ की घोषणा की । इस समय ख़ुदा की कृपा से वक़्फ़े नौ की एक बड़ी संख्या ख़ुद्दामुल अहमदिया में सम्मिलित हो चुकी है । यह ख़ुदा की एक महान अमानत है जो इस समय हमारे हाथों या हमारे इर्द-गिर्द जवान हो रही है जिनकी शिक्षा-दीक्षा का भारी दायित्व हम पर है।

प्रत्येक मज्लिस अपने यहां प्रयत्न करे कि केन्द्र की ओर से जारी होने वाले आदेशों के अनुसार उनकी शिक्षा-दीक्षा की जाए, उन्हें आयु के अनुसार वक़्फ़ नौ के कोर्स की तैयारी कराई जाए और हर संभव प्रयास किया जाए कि ये बच्चे इस रंग में तैयार हों कि जिन उद्देश्यों के लिए यह तहरीक की गई है उसे श्रेष्ठ तौर पर पूर्ण करने के योग्य बन सकें तथा स्थानीय सेक्रेटरी "वक़्फ़े नौ" के साथ मिलकर उन की शिक्षा-दीक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें।

7. विशेष कार्य क्रम :: प्रशिक्षण विभाग प्रत्येक दृष्टि से समस्त विभागों का प्राण है, क्योंकि धर्म की स्थापना का उद्देश्य ही मनुष्य का सुधार तथा ख़ुदा तआला से उसका संबंध स्थापित करना है । इस विभाग के अधीन विशेष कार्यक्रम का उल्लेख किया जा रहा है। उहदेदारों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

*- निम्नलिखित नेकियों को प्रचलित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए :-

(1) ख़ुदा की तौहीद (एकेश्वरवाद) के लिए स्वाभिमान और ख़ुदा तआला से वफ़ादारी।

(2) ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पद की गरिमा का अहसास।

(3) जमाअत के साथ नमाज़, यथासंभव तहज्जुद की नमाज़ का प्रबन्ध ।

(4) प्रत्येक मज्लिस में महीने में कम से कम एक बार नमाज़ तहज्जुद का प्रबन्ध ।

(5) यह भावना पैदा की जाए कि ख़ुद्दाम मात्र फ़र्ज़ की अदायगी पर ही

सन्तुष्ट न हों अपितु नेकी के प्रत्येक मैदान में नफ़िलों के द्वारा ख़ुदा तआला की प्रशंसा-प्राप्ति हेतु प्रयास करते रहें ।

(6)भाई-चारे की भावना तथा प्रजा से सहानुभूति ।

(7) प्रत्येक नेकी को उचित प्रकार से अदा करना तथा हार्दिक उल्लास को क़ायम रखना ।

(8) ईमानदारी, अमानत, व्यवहार-कुशलता, सत्य, आज्ञाकारिता, वादे को पूरा करना, स्वार्थ त्याग, क्षमा जैसे उत्तम सदाचार पैदा करना तथा इस्लामी आचरण की पाबन्दी करना ।

(9) हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों का अध्ययन ।

निम्नलिखित दोषों के निवारण के लिए मज्लिसें विशेष ध्यान दें:-

झूठ, चुगली, कुधारणा, अन्याय, आलस, नशा, व्यर्थ कार्यों में समय का नष्ट करना, असत्य बोलना, बेईमानी, बुरी दृष्टि डालना, अश्लीलता, लिबास और रहन-सहन के ढंग में अपव्यय, परस्पर मतभेद, जिनका प्रभाव जमाअत पर पड़ता हो ।

*-मज्लिसों के क़ाइद साइक़ों को अपने ग्रुप (हिज्ब) के व्यक्तिगत प्रशिक्षण का उत्तरदायी बनाएं, जो प्रशिक्षण संबंधी आदेश जारी किए जाएं उन्हें समस्त ख़ुद्दाम तक पहुँचाने और उन्हें लागू करने का दायित्व साइक़ों पर है।

*-जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए हर महीने कुछ सुधार योग्य ख़ुद्दाम चुन कर उन्हें जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने का आदी बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, यहां तक कि वर्ष के अन्त से पूर्व एक ख़ादिम भी ऐसा न रहे जो जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने का आदी न बन चुका हो तथा साइक़ अपने ग्रुप के सदस्यों को नमाज़ के लिए साथ लेकर आया करें। महीने की रिपोर्टों में भी इस प्रयत्न के परिणाम का निश्चित संख्या के साथ उल्लेख करना चाहिए।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह बिनस्रिहिल अज़ीज़ जमाअत के साथ नमाज़ की अदायगी के सन्दर्भ में फ़रमाते हैं कि :-

"...प्रत्येक अहमदी ख़ादिम और तिफ़्ल इस प्रकार पांच वक्त का नमाज़ी

बन जाए कि आप के पास की हर अहमदी मस्जिद नमाज़ियों से शोभा पकड़ने लगे। नमाज़ आप की रूह का आहार बन जाए, जिस प्रकार मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती इसी प्रकार नमाज़ के बिना यही दशा आप की हो। याद रखें कि नमाज़ के बिना आप का जीवन आनन्द-रहित और निरर्थक रहेगा।"

("मशअल-ए-राह" जिल्द 5, पृष्ठ 164-165)

*-हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह तृतीय रहमहुल्लाह की जारी की हुई तहरीक "हिफ्ज़े क़ुर्आन" (क़ुर्आन का कंठस्थ करना) की ओर मज्लिसों को पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है तथा अधिक से अधिक संख्या में ऐसे ख़ादिम तैयार किए जाएं जो एक-एक पारा कंठस्थ करें।

ऐसे ख़ुद्दाम जो एक पारा हिफ्ज़ करें उन का रिकार्ड रखा जाए और उनके नाम और पते से केन्द्रीय दफतर को सूचित करें। ऐसे ख़ुद्दाम के नाम हुज़ूर अय्यदहुल्लाहो तआला की सेवा में दुआ के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इन्शाअल्लाह ।

*-हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रहमहुल्लाह ने 24, नवम्बर 1989 ई. के ख़ुत्बा जुमा में जिन पांच बुनियादी सदाचारों की ओर ध्यानकर्षण किया उन सदाचारों के प्रचलन हेतु प्रयास किया जाए । वे पांच बुनियादी सदाचार ये हैं :-

(1) सच्चाई (2) नर्म और पवित्र भाषा का प्रयोग (3) प्रजा की हमदर्दी, दूसरों के कष्ट का अहसास तथा उस को दूर करना (4) विशाल साहस (5) दृढ़ संकल्प और हिम्मत।

*-हुज़ूर अन्वर के ख़ुत्बे सुनने और सुनवाने की विशेष व्यवस्था की जाए तथा ख़ुद्दाम को ख़ुत्बों का सारांश नोट करने की तहरीक दी जाए ।

तरबियत (प्रशिक्षण) विभाग

(नए बैअत करने वालों के लिए)

ख़ुद्दामुल अहमदिया पाकिस्तान की मज्लिसे शूरा (परामर्श समिति) की 1995 ई. की सिफ़ारिश को स्वीकृति प्रदान करते हुए साल 1995-96 ई. से हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रहमहुल्लाह ने दया दृष्टि करते हुए ख़ुद्दामुल

अहमदिया पाकिस्तान में उपर्युक्त विभाग की स्वीकृति प्रदान की थी ।

हिन्दुस्तान में साल 2001-02 ई. से यह विभाग जारी हुआ और हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रहमहुल्लाह तआला ने दया-दृष्टि करते हुए नए बैअत कर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए मुहतमिम (संचालक) तरबियत (प्रशिक्षण) की स्वीकृति प्रदान की तथा इस विभाग के संबंध में 10, अक्टूबर 2003 ई. को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की ओर से निम्नलिखित सैद्धान्तिक निर्देश प्राप्त हुआ :-

"आप की मज्लिसे आमिला (कार्यकारिणी समिति) में बाद में एक नया विभाग "मुहतमिम प्रशिक्षण" नए बैअत कर्ताओं हेतु स्थापित कर रहा हूँ। यह एक पूर्ण विभाग होगा और इस विभाग का इन्चार्ज/क़ाइद मुहतमिम भी "मज्लिसे आमिला के नियमित सदस्य होंगे तथा इस प्रकार से मज्लिसे शूरा के भी सदस्य होंगे ।

मज्लिसे आमिला में भविष्य में दो सहायक सदर रखे जा सकेंगे और ख़लीफ़तुल मसीह से उनकी स्वीकृति लेना आवश्यक होगी । वे भी आमिला के नियमित सदस्य होंगे तथा इसी दृष्टि से शूरा के अवसर पर भी वे प्रतिनिधि होंगे ।"

इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य नए बैअत कर्ता ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल की ऐसी उत्तम शिक्षा दीक्षा करना है कि वे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के स्थापित किए सिलसिला अहमदिया की प्रतिष्ठा के यथायोग्य कर्मठ और वफ़ादार ख़ुद्दाम बन सकें तथा इस बारे में निम्नलिखित बातें विशेष तौर पर दृष्टिगत रखी जाएं :-

1. अधिक से अधिक नए बैअत कर्ताओं को जलसा सालाना, समारोहों, प्रशिक्षण कैम्प इत्यादि के अवसरों पर पवित्र स्थानों के दर्शनार्थ क़ादियान दारुलअमान में लाया जाए ।

2. ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल की आयु के समस्त नए बैअत कर्ताओं को शीघ्र ही स्थानीय नामांकन तथा बजट में सम्मिलित करें ।

3. नए बैअतकर्ता सदस्यों को नियमित रूप से जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने की नसीहत और निरीक्षण करें ।

4. उन्हें नमाज़ जुमा में अनिवार्य तौर पर सम्मिलित करें ।

5.नए बैअत कर्ताओं पर अनिवार्य और ऐच्छिक चन्दों के महत्त्व और बरकतों को स्पष्ट करें तथा आर्थिक कुरबानी में अनिवार्य तौर पर सम्मिलित करें ।

6. नए बैअत कर्ताओं में हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाहो तआला की सेवा में दुआ के लिए पत्र लिखने की आदत डालें ।

7.नए बैअत करने वाले ख़ुद्दाम के मध्य मुक़ाबले करवाएं तथा पुरस्कारों के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाएं ।

8. उन्हें अपने हर्ष और शोक संबंधी सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सम्मिलित करें ताकि उन्हें उचित इस्लामी आचरणों का ज्ञान हो ।

9. इस सन्दर्भ में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और आवश्यक बात यह है कि उन लोगों को एम.टी.ए. के कार्यक्रमों विशेषकर हुज़ूर अय्यदहुल्लाहो तआला के ख़ुत्बा जुमा में अवश्य सम्मिलित करें और इसके लिए उचित प्रबन्ध करके निरन्तर नसीहत और निरीक्षण करें ।

10. इन नए बैअत करने वालों को ख़ुदा की ओर बुलाने वाला (दाई इलल्लाह) बनाएं क्योंकि वे अपने सुधार के साथ-साथ अपने खानदानों और अपनी मित्र मंडली में प्रभावशाली बुलाने वाले सिद्ध हो सकते हैं ।

11. नए बैअत करने वाले ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल की मज्लिसें प्रान्त/मंडल के स्तर पर अलग समारोह करवाएं जिनके सम्पूर्ण प्रबन्ध नए बैअत करने वाले ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल के ही सुपुर्द करें ।

तब्लीग़ (प्रचार) विभाग

अल्लाह तआला फरमाता है :-

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَ جَادِلۡہُمۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ اِنَّ رَبَّکَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِہٖ وَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُہۡتَدِیۡنَ ﴿۱۲۶﴾

(अन्नहल : 126)

अनुवाद :- ""अपने प्रतिपालक के मार्ग की ओर नीति और अच्छी नसीहत से लोगों को बुला ।" के अनुसार अल्लाह तआला का सन्देश दूसरों

तक पहुँचाना हर सच्चे मुसलमान का कर्त्तव्य है जब कि प्रत्येक अहमदी पर यह बहुत अधिक दायित्व आता है कि वह इस्लाम की वास्तविक तब्लीग़करने वाला हो। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रहिमहुल्लाह तआला ने जमाअत के प्रत्येक सदस्य को ख़ुदा की ओर बुलाने वाला बनने की विशेष रूप से नसीहत की है। इसी प्रकार हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह बिनस्रेहिल अज़ीज़ ने भी ख़ुदा की ओर निमंत्रण देने की ओर विशेष तौर पर ध्यानाकर्षण किया है ।

इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित बातों को विशेष तौर पर दृष्टिगत रखते हुए ख़ुदा की ओर बुलाने के लिए ध्यान दें :-

1. साल के मध्य दोनों छ: महीनों में दो तब्लीग़ सप्ताह आयोजित किए जाएं ।

2. प्रश्नोत्तर की बैठकों का आयोजन करके जमाअत के अलावा लोगों को निमंत्रण दिया जाए। इस सन्दर्भ में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रह. की प्रश्नोत्तर की मज्लिसों पर आधारित कैसिट्स, सीडी तथा एम.टी.ए. के कार्यक्रमों से भी बहुत लाभ प्राप्त किया जा सकता है ।

3. प्रत्येक मज्लिस तब्लीग़ क्लासिज़ का आयोजन करे जिसमें ख़ुद्दाम को ख़ुदा की ओर बुलाने के उपाय तथा जमाअत के नियम और आस्थाओं के सबूत और दलीलें सिखाई जाएं ।

4. व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर सम्पर्क, मेल-मिलाप, तब्लीग़ संबंधी पत्रों और लेखों के माध्यम से तब्लीग़ की जाए ।

5. तब्लीग़ संबंधी सभाएं करें ।

6. लिट्रेचर, पम्फलट और फोल्डर वितरित किए जाएं ।

7. लाइब्रेरियों में जमाअती पुस्तकें, समाचार पत्र, और पत्रिकाएं रखवाएं ।

8. मीडिया से सम्पर्क रखें ताकि वे अज्ञान होने के कारण अहमदियत अर्थात वास्तविक इस्लाम के बारे में दुर्भावनाएं न फैलाएं । यदि जमाअत के बारे में कोई विज्ञापन, सूचना या पम्फलट इत्यादि प्रकाशित हुआ है तो उस की मूल प्रति या फोटो कापी केन्द्रीय कार्यालय में अवश्य भिजवाएं तथा केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त करके उनका उत्तर भी दिया जाए ।

9. जमाअत के नियम, तब्लीग़ और प्रशिक्षण तथा जन-सेवा के कार्यों से जमाअत के लोगों के अलावा अन्य लोगों को परिचित कराएं ।

10. जमाअत के बुक स्टाल लगाएं ।

11. अहमदियत के केन्द्र क़ादियान में समारोहों और जलसों के अवसर पर जमाअत के लोगों के अलावा अन्य लोगों को लाएं ।

12. सामाजिक संबंधों को बढ़ाएं, लोगों को घरों में बुलाएं। कम से कम पांच नए लोगों से सम्पर्क करके जमाअत की आस्थाओं (अक़ायद) और कार्यों से परिचित कराएं।

13. प्रत्येक मज्लिस साल में एक नए गांव में अहमदियत का पौधा लगाए।

शिक्षा-विभाग

नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का उपदेश है कि-"शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मुसलमान पुरुष और स्त्री का कर्तव्य है।" इस दृष्टि से शिक्षा विभाग का उद्देश्य यह है कि ख़ुद्दाम सांसारिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा के प्रकाश से भी प्रकाशित हों, अशिक्षा पूर्णतया दूर की जाए। प्रत्येक ख़ादिम कम से कम :-

1. इस्लाम धर्म की बुनियादी शिक्षा और आस्थाओं से परिचित हो।

2. क़ुर्आन करीम देखकर (ज़बानी) पढ़ सकता हो।

3. नमाज़ अनुवाद सहित जानता हो।

4. क़ुर्आन करीम का कोई भाग विशेषकर सूरह "बक़रह" की शुरू की सत्रह आयतें और अन्तिम दस सूरह मौखिक याद हों।

5. जनाज़ा पढ़ने की दुआ तथा अन्य छोटी-छोटी मसनून दुआएं याद हों।

स्कीम का विवरण

क़ुर्आन करीम

1. ख़ुद्दाम में क़ुर्आन करीम की तिलावत की रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। इस उद्देश्य के लिए कभी-कभी क़ुर्आन की क़िरअत और क़ुर्आन कंठस्थ करने के मुकाबले कराए जाएं।

2. ख़ुद्दाम में क़ुर्आन करीम नाज़िर: और अनुवाद सहित सीखने की रुचि उत्पन्न की जाए और नियमित रूप से क़ुर्आनी शिक्षा की क्लासें लगाई जाएं,

उचित तौर पर क़ुर्आन करीम सीखने के लिए स्थानीय मुबल्लिग़ों, शिक्षकों तथा उचित उच्चारण जानने वाले लोगों से लाभ प्राप्त करें। इस बारे में प्रत्येक मज्लिस में नज़ारत तालीमुल क़ुर्आन वक़्फ़े आरज़ी क़ादियान से क़ुर्आन करीम के उच्चारण की आडियो कैसिट और सी.डी. मंगवाई जा सकती हैं और एम.टी.ए. पर शुद्धता के साथ क़ुर्आन सिखाने वाले कार्यक्रमों से लाभ उठाया जाए ।

3. जो ख़ुद्दाम क़ुर्आन करीम अनुवाद सहित जानते हैं उन्हें तफ़्सीर (व्याख्या) के अध्ययन की प्रेरणा दी जाए ।

4. प्रत्येक मज्लिस में नियमित रूप से क़ुर्आन करीम के सुनाने का प्रबन्ध किया जाए ।

नमाज़

जो ख़ुद्दाम नमाज़ अनुवाद सहित या अनुवाद रहित न जानते हों उन्हें सिखाने का नियमित प्रबन्ध किया जाए। कोई ख़ादिम ऐसा न रहे जिसे नमाज़ अनुवाद सहित न आती हो । हर माह में एक सप्ताह के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिनमें नमाज़ अनुवाद सहित और दुआएं याद कराने और क़ुर्आन को कंठस्थ (हिफ्ज़) कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए तथा मासिक रिपोर्टों में नए सीखने वाले ख़ुद्दाम की संख्या का उल्लेख किया जाए। किताब "तदरीसे नमाज़" जिसमें हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ रहिमहुल्लाह तआला ने उर्दू क्लास में नमाज़ की फ़लास्फ़ी और उसकी नीति पर प्रकाश डाला है से भी लाभ उठाया जा सकता है ।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों का अध्ययन

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों के अध्ययन का महत्व ख़ादिम पर स्पष्ट किया जाए। मज्लिसे आमिला तथा पदाधिकारी किताबों के अध्ययन के बारे में ख़ुद्दाम के सामने अपना व्यक्तिगत आदर्श प्रस्तुत करें । मासिक अध्ययन के लिए जो किताबें "मुहतमिम तालीम" की ओर से निर्धारित की जाती हैं ख़ुद्दाम उनका अध्ययन करें और प्रत्येक माह के अन्त में ख़ुद्दाम का निरीक्षण किया जाए। प्रयास किया जाए कि शत-प्रतिशत (100%) ख़ुद्दाम इस में भाग लें। जो ख़ुद्दाम नियमित रूप से अध्ययन

करें उनके नाम एक रजिस्टर में लिखें । मज्लिस में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों पर आधारित लाइब्रेरी बनाई जाए। ख़ुद्दाम अपने-अपने घरों में उन किताबों को पढ़कर सुनाएं ।

प्रत्येक माह के अन्त में निर्धारित किताब पर एक विचार-विमर्श-बैठक का आयोजन किया जाए जिस में किताब का परिचय और मूल विषय प्रस्तुत किया जाए। उचित होगा कि किसी विद्वान (आलिम) और बुज़ुर्ग की सेवाएं प्राप्त की जाएं और ख़ुद्दाम को प्रश्नों का अवसर दिया जाए ताकि ख़ुद्दाम किताब का विषय समझकर मस्तिष्क में बैठा लें। स्थानीय जमाअत के सहयोग से मस्जिद में निर्धारित किताब को सुनाने का प्रबंध किया जाए। किताबों के अध्ययन की स्कीम में "मुहतमिम तालीम" की ओर से भेजे गए सर्कुलर के अनुसार अध्ययन किया जाए।

क़ुर्आन करीम का पूर्ण अनुवाद तथा रूहानी ख़ज़ायन की सम्पूर्ण जिल्दों का अध्ययन करने वाले ख़ुद्दाम को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

मज्लिस अन्सार सुल्तानुलक़लम

ख़ुद्दाम में लेख लिखने की रुचि उत्पन्न करने के लिए ""मज्लिस अन्सार सुल्तानुल क़लम" स्थापित करें ।

इस मज्लिस के अन्तर्गत स्थानीय तौर पर लेख लिखने के मुकाबले कराए जाएं और प्रत्येक ख़ादिम इसमें भाग ले तथा अच्छे और ऊँचे स्तर के लेख केन्द्रीय अखबार, पत्रिकाओं, बद्र, मिश्कात् और "राहे-ईमान" इत्यादि में प्रकाशित करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा भिजवाए जाएं। केन्द्रीय मज्लिस की ओर से प्रत्येक साल एक मक़ाला लेखन का इनामी मुकाबला रखा जाता है जिस में प्रत्येक मज्लिस के कम से कम एक ख़ादिम का भाग लेना आवश्यक है । इस मुक़ाबले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले ख़ुद्दाम को केन्द्रीय सालाना समारोह के अवसर पर इनाम दिया जाता है । प्रचलित साल के लिए "मुहतमिम तालीम" की ओर से भेजे गए सरकुलर में निर्धारित शीर्षक तथा तिथि की पाबन्दी करें ।

मज्लिस वार्ता प्रशिक्षण

ख़ुद्दाम में वर्णन करने की शक्ति को विकसित करने के लिए मज्लिस

से "मज्लिस-ए-सम्भाषण" स्थापित करें और प्रत्येक माह उस की सभा आयोजित करके ख़ुद्दाम को भाषण देने का अवसर दिया जाए। प्रयास किया जाए कि साल भर में प्रत्येक ख़ादिम कम से कम एक बार भाषण अवश्य दे ।

दैनिक या साप्ताहिक शिक्षा संबंधी क्लास

प्रत्येक मज्लिस प्रयास करके अपने यहां दैनिक या साप्ताहिक शिक्षा संबंधी क्लास की व्यवस्था करे जिसमें नियमित रूप से नमाज़ अनुवाद सहित, अरबी उर्दू सिखाना और अनपढ़ ख़ुद्दाम की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अनपढ़ ख़ुद्दाम की पूर्ण सूची तैयार करके व्यवस्थित तौर पर उनकी शिक्षा के बारे में प्रयत्न किया जाए, प्रत्येक अनपढ़ को कम से कम अपने हस्ताक्षर करने और साधारण लिखना-पढ़ना अवश्य सिखाया जाए । अनपढ़ या कम शिक्षित ख़ुद्दाम को अच्छे शिक्षित ख़ुद्दाम के सुपुर्द कर दिया जाए जो उनकी परिस्थितियों के अनुकूल उचित शिक्षा दें ।

लायब्रेरी

मज्लिसें कोशिश करें कि उनके यहां दारुल मुतालिआ ज़रूर स्थापित किया जाए। बड़ी-बड़ी मज्लिसें अपने यहां लाइब्रेरी स्थापित करके उसमें लाभप्रद किताबों को बढ़ाती रहें। इस बात का निरीक्षण किया जाए कि ख़ुद्दाम इससे पूरा लाभ भी प्राप्त करें।

धार्मिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं

ख़ुद्दाम के धार्मिक ज्ञान के स्तर को ऊंचा करने के लिए धार्मिक पाठ्यक्रम को दो ग्रुप्स में निर्धारित किया गया है :-

(1) प्रथम ग्रुप :- 15 से 25 साल के ख़ुद्दाम के लिए।

(2) द्वितीय ग्रुप :- 26 से 40 साल के ख़ुद्दाम के लिए ।

नोट :- हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला के आदेशानुसार धार्मिक पाठ्यक्रम की परीक्षा साल में तीन बार ली जाएगी । "मुहतमिम तालीम" की ओर से प्रत्येक ग्रुप का पाठ्यक्रम अलग-अलग भिजवाया जाएगा, ख़ुद्दाम उसके अनुसार अपने-अपने ग्रुप की तैयारी करके परीक्षा दें ।

आदरणीय क़ाइदीन से निवेदन है कि साल के आरंभ से ही ख़ुद्दाम को

इन परीक्षाओं के लिए तैयार करें और विशेष तौर पर ध्यान रखें कि प्रत्येक ख़ादिम परीक्षा में भाग ले और समस्त पदाधिकारियों का भी इस परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा और जो पदाधिकारी इन परीक्षाओं में भाग नहीं लेंगे उनकी रिपोर्ट केन्द्र को करें। सफल होने वाले ख़ुद्दाम को केन्द्रीय कार्यालय से प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।

शोबा अमूरे तुलबा (शिक्षार्थियों संबंधी विभाग)

इस विभाग का उद्देश्य अहमदी छात्रों (विशेषकर कालिजों और यूनीवर्सिटियों के अहमदी छात्रों) के नैतिक, धार्मिक और ज्ञान संबंधी स्तर को ऊंचा करना है ताकि उन्हें भौतिकता के वर्तमान फितनों वाले वातावरण के दुष्प्रभावों से बचाकर इस्लामी रूह और आचरण का पाबन्द किया जा सके।

1. अहमदी छात्रों के दिमाग़ में यह स्थापित की जाए कि देश, कौम और जमाअत के भविष्य का संबंध उनके साथ जुड़ा है। जहां उनका फर्ज़ है कि वे अपनी संसारिक शिक्षा को पूरा करें वहां उनका यह भी फर्ज़ है कि वे ख़ुद को धार्मिक शिक्षा के ज़ेवरों से सजाएं।

2. यूनीवर्सिटियों और कालजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले अहमदी छात्रों की जांच-पड़ताल करें कि उनका जमाअत से किस सीमा तक संबंध है और बहरहाल उन्हें जमाअत का भाग बनाएं और उन्हें जमाअत के अनुशासन और परम्पराओं से परिचित कराएं।

3. बड़ी मज्लिसें जहां बड़ी संख्या में अहमदी विद्यार्थी हैं और यूनीवर्सिटी और कालेज अधिक हैं वहां " Ahmadiya Students Association" बनाएं तथा वहां प्रशिक्षण संबंधी सम्मेलन, सेमीनार तथा अन्य प्रोग्रोमों का आयोजन करें। ऐसे कार्यक्रमों में ग़ैर अहमदी लोगों को बुलाया जा सकता है। इस के द्वारा अहमदी छात्रों की शिक्षा-दीक्षा होगी और एवं अन्य लोगों से संबंध बढ़ेंगे, सम्पर्क उत्पन्न होंगे और जमाअत का परिचय होगा।

4. हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रेहिल अज़ीज़ की मुबारक तहरीक को लागू करने की कोशिश की जाए कि कोई ख़ादिम कम से कम (+2) Intermediate करने से पहले शिक्षा को

न छोड़े। प्रत्येक मज्लिस इस विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत शिक्षा के महत्त्व और उपादेयता के विषयों पर बैठकों का आयोजन कराए जिन में मां बाप को भी बुलाया जाए और उन्हें ध्यान दिलाया जाए कि अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा दिलाएं तथा कभी-कभी वे शिक्षा संस्थानों में जाकर अपने बच्चों की उपस्थिति और शिक्षा संबंधी स्थिति से अवगत होते रहें तथा अमूरे तुलबा के क़ाइदीन और नाज़िमीन का कर्तव्य है कि वे अपनी मज्लिस के प्रत्येक ख़ादिम की पड़ताल करें तथा अपने प्रयासों से केन्द्रीय दफतर को सूचित करें।

5. ऐसे ख़ुद्दाम जो शिक्षा छोड़ चुके हों उन्हें Open University और अन्य संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रेरित करें तथा Technical Education की ओर भी उनका मार्ग-दर्शन करें।

6. प्रत्येक मज्लिस में "Book Bank" स्थापित किया जाए और ख़ुद्दाम को प्रेरणा दी जाए कि सफल होने पर वे अपनी पुस्तकें इस बैंक में जमा कराएं ताकि निर्धन और असहाय छात्रों को मज्लिस के प्रबन्ध के अन्तर्गत परिस्थिति अनुसार मुफ्त या अल्प मूल्य पर पुस्तकें मिलती रहें ।

7. यदि संभव हो तो परीक्षाओं से पूर्व Free Coching Classes की व्यवस्था की जाए और शिक्षित ख़ुद्दाम से निवेदन करके छात्रों को शिक्षा दी जाए ताकि उचित रंग में परीक्षा दे सकें। इसी प्रकार मज्लिसें अपने यहां भिन्न-भिन्न विषयों पर स्कालर्ज़, और शिक्षा-विशेषज्ञों से भाषण करवाएं ताकि ख़ुद्दाम पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान भी प्राप्त करें।

8. परीक्षाओं के बाद विशेष कर दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों को मज्लिस के प्रबंध के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न जीवन-वृतियों (उरीशशी) के चयन में छात्रों को दिशा निर्देश दिए जाएं। इसके लिए मज्लिसें अपने यहां (Career Councillor) नियुक्त करें तथा इस बारे में नज़ारत तालीम क़ादियान से भी सम्पर्क किया जाए।

9. बोर्ड और यूनीवर्सिटियों की परीक्षाओं में विशेष श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों के विवरण फोटो सहित केन्द्रीय अख़बारों और पत्रिकाओं (मिश्कात

तथा राहे ईमान) में प्रकाशित करने के लिए भेजे जाएं।

10. क़ाइदीन का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक अहमदी विद्यार्थी से हुज़ूर अन्वर अय्यदहुल्लाह तआला की सेवा में दुआ के लिए पत्र लिखवाएं और सालाना परीक्षा के परिणाम से हुज़ूर अन्वर को सूचित करके दोबारा दुआ का निवेदन किया जाए।

ख़िदमते ख़ल्क़ (जन-सेवा) विभाग

समस्त मज्लिसें ख़ुदाई आदेश :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

(आले इमरान : 111)

के अनुसार ख़िदमते ख़ल्क़ के ठोस और सामूहिक प्रोग्राम बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें । ख़ुद्दाम में प्रजा की सच्ची सहानुभूति उत्पन्न की जाए और क़ुर्बानी की भावना के अनुसार बिना धार्मिक और जातीय भेदभाव प्रजा की हर प्रकार की निष्कपट सेवा के लिए समर्पित रहें। जातीय समय दिनों में कष्टों के निवारण हेतु हर प्रकार का प्रयास किया जाए, व्यक्तिगत तौर पर भी ख़ुद्दाम में यथाशक्ति मुहताजों की आवश्यकताएं पूर्ण करने और पीड़ित मानवता के कष्टों को दूर करने की भावना पैदा की जाए।

ख़िदमते ख़ल्क़ के कुछ कार्य उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित हैं :-

1. पड़ोसियों को सौदा इत्यादि लाकर देना, तकलीफ में पाड़ित और बीमार लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए कोशिश करना।

2.भटके लोगों को मार्ग बताना अन्धों और विकलांगों की मदद करना, रास्ते में पड़ी कष्टदायक वस्तुओं उदाहरणतया फलों के छिलके, कांटे इत्यादि उठाना, बूढ़ों और निर्बलों के सामान को उठाकर उनके वांछित स्थान तक पहुँचाना।

3. रोगियों की सेवा करना, हाल पूछना, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर रक्त देने के लिए तैयार रहना, यदि संभव हो सके तो उनके इलाज के लिए डाक्टरों, अस्पतालों इत्यादि से सहायता प्राप्त करना, हुज़ूर अनवर की होम्योपैथी औषधियों से पर्याप्त सीमा तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक मज्लिस परिस्थितियों के अनुसार अपने यहां "ताहिर होम्योपैथी डिस्पेन्सरी" स्थापित करे। प्रत्येक मज्लिस अपने

ख़ुद्दाम के ब्लड ग्रुप का रिकार्ड तैयार करे और उसकी एक प्रति केन्द्रीय दफतर को और एक प्रति प्रान्तीय/मंडलीय (ज़ोनल) "क़ाइद" को भिजवाए।

4. मज्लिस के प्रबन्ध के अन्तर्गत खुशी के अवसर उदाहणतया ईद इत्यादि के अवसर पर ग़रीबों को अपनी खुशी में सम्मिलित करना तथा क़ैदियों और श्रमिकों इत्यादि के साथ अच्छा व्यवहार करना, मुहताजों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना जैसे भूखों को भोजन कराना, मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार कपड़े उपलब्ध कराना, यतीमों और असहायों की सहायता करना तथा उनका विवरण एकत्र करके उनकी सूची जमाअत के माध्यम से केन्द्रीय दफतर को भिजवाना, सहायता के इच्छुक छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य के लिए बड़ी मज्लिसें स्थापित करें।

5. ख़ुद्दाम को अपनी आंखें इत्यादि दान करने के लिए प्रेरित करना।

6. ग्रीष्म ऋतु में ठण्डा पानी पिलाने की व्यवस्था करना ।

7.मुहताज घरानों पर खामोशी से दृष्टि रख कर अपने संसाधनों के अनुसार नीतिगत यथा संभव सहायता करना।

8. विवाह के प्रबन्धों में सहयोग करना।

9. कफ़न, दफ्न के प्रबन्धों में सहायता करना।

10. बाढ़ या ऐसी ही अन्य अकस्मात विपत्तियों के अवसरों पर अपनी सेवा प्रस्तुत करना।

11. बेकारी दूर करने के लिए सामूहिक प्रयत्न करना।

12. मंडलीय (ज़ोनल) तथा स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार मुफ्त मेडीकल केम्प का प्रबन्ध।

13. प्रत्येक मज्लिस में ब्लड डोनर्स (रक्तदान करने वाले) की टीम बनाई जाए। सरकारी अस्पताल में जहाँ बल्ड बैंक स्थापित है वहां "ख़ुद्दामुल अहमदिया ख़िदमते ख़ल्क़" के नाम से प्रत्येक मज्लिस अपना नाम रजिस्टर करवाए।

14. मज्लिस में मौजूद डाक्टरों की तफसील फोन नम्बर और डिग्री के साथ दफतर को भिजवाई जाए।

माल (अर्थ) विभाग

(क) चन्दों की दर

1. चन्दा मज्लिस :- नौकरी या व्यवसाय में लगे ख़ुद्दाम से उनकी मासिक आय पर एक प्रतिशत मेम्बरी चन्दा लिया जाए। सारे ख़ुद्दाम और बेरोज़गार छात्रों से भी कम से कम 5 रुपए मासिक चन्दा मज्लिस वुसूल किया जाए ।

2. **चन्दा सालाना इज्तिमा :-** प्रत्येक बेरोज़गार ख़ादिम कम से कम 40 रुपए सालाना अदा करे। नौकरी या किसी व्यवसाय में काम करने वाला ख़ुद्दाम अपनी एक माह की आय का 5% की दर से सालाना इज्तिमा का चन्दा अदा करेंगे अर्थात् 200/- रुपए मासिक आय पर सालाना 10/- रुपए अदा करने होंगे ।

3. चन्दा अत्फ़ाल :- अत्फ़ाल के बजट के लिए बजट निर्धारण के लिए अलग फ़ार्म हैं। उन पर ख़ुद्दाम के साथ ही अत्फ़ाल का बजट भी बना कर भिजवाया जाए। प्रत्येक तिफ्ल के लिए चन्दा मज्लिस कम से कम ढाई रुपए मासिक और सालाना 30/- रुपए हैं और अत्फ़ाल के इज्तिमा का चन्दा प्रत्येक तिफ्ल का कम से कम पांच रुपए सालाना है ।

(ख) बजट का निर्धारण :-

1. सारी मज्लिसें नए साल के बजट निर्धारण फ़ार्म सावधानी पूर्वक भर के दिसम्बर (फ़तह) के आख़िर तक मरकज़ी दफतर में भिजवा दें। बजट सही आय के अनुसार निर्धारित करके मरकज़ी दफतर में आना आवश्यक है। बजट तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई ख़ादिम बजट में सम्मिलित होने से रह न जाए और जिन ख़ुद्दाम को पिछले साल के बजट में सम्मिलित किया गया था परन्तु वर्तमान बजट में उनका नाम नहीं लिखा गया उन्हें शामिल न किए जाने का स्पष्टीकरण हो जाए तथा जिन ख़ुद्दाम की आय पिछले साल की तुलना में कम है उसके कारणों का भी उल्लेख किया जाए। बजट निर्धारित करते समय नौकरी पेशा ख़ुद्दाम के लाज़मी चन्दों के बजट को भी ध्यान में रख लिया जाए। इस बारे में जमाअत के सेक्रेटरी माल से भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

इस साल से नामांकन फ़ार्म (तज्नीद फ़ार्म) के साथ ही बजट फ़ार्म भी छपवाया गया है।

2. प्रत्येक नए साल का बजट पिछले साल से अधिक होना चाहिए, यही मोमिन की शान है।

3. नए बैअत करने वालों के ईमान की दृढ़ता के लिए आवश्यक है कि- उन्हें भी माली (आर्थिक) जिहाद में सम्मिलित किया जाए। अत: नए बैअत करने वाले ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल को बजट में अवश्य सम्मिलित करें और उन से बजट के अनुसार शत-प्रतिशत वुसूली भी करें। इस बारे में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रेहिल अज़ीज़ ने उपदेश दिया कि :-

"जब तक जमाअतों को, मज्लिसों को माली (आर्थिक) जिहाद में सम्मिलित नहीं करेंगे, लोगों को अहसास नहीं दिलाएंगे कि आर्थिक क़ुरबानी करो तो न उनके ईमान का पता लगेगा और न आप की प्रोग्रैस (प्रगति) का पता लगेगा।"

(ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत की मज्लिसे आमिला, 7 जनवरी 2006 ई. की मीटिंग के अवसर पर)

(ग) चन्दों की वुसूली और उनका भिजवाना

1. इस बात का विशेष तौर पर प्रबन्ध करें कि प्रत्येक ख़ादिम और तिफ़्ल से बजट के अनुसार प्रति माह चन्दे की वुसूली की जाए। ख़ुद्दाम को आदत डालें कि वे हर माह स्वयं चन्दा अदा करने की कोशिश करें।

2.वुसूल की हुई कुल रकम को रोज़नामचे पर खाता के क्रमानुसार लिखकर टोटल किया जाए और सारे खातों की रकम हर महीने की 20 तारीख तक मरकज़ी दफतर में भिजवाना आवश्यक है।

वुसूल की गई रकम के ड्राफ्ट और चैक सदर अंजुमन अहमदिया, क़ादियान के नाम बनवाएं और दफतर ख़ुद्दामुल अहमदिया, भारत में ड्राफ्ट और उसका विवरण भेजें।

3. साल के बीच में सारी मज्लिसें दोनों छ: माहियों में दो बार हफता माल मनाएं जिसमें बक़ाया रकम की वुसूली पर विशेष ध्यान दें ।

4. प्रत्येक मज्लिस ज़िम्मेदार होगी कि अपने मज्लिस के चन्दे के बजट का 78 प्रतिशत भाग दफतर ख़ुद्दामुल अहमदिया, भारत को भिजवाए शेष 22 प्रतिशत मज्लिस अपनी स्थानीय ज़रूरतों पर खर्च कर सकती है, जिसका हिसाब रखना आवश्यक है, दूसरे चन्दे सारे के सारे ख़ुद्दामुल अहमदिया, भारत को भिजवाए जाएं।

(घ) अनुदानों की वुसूली

1. मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया, भारत के बजट में एक अनुदान का खाता भी है जो ख़लीफ़तुल मसीह की मंज़ूरी से स्थापित किया गया है। प्रत्येक मज्लिस साल के बीच अधिक से अधिक वुसूली करके इस खाते में लिखकर कुल रकम दफतर ख़ुद्दामुल अहमदिया, भारत को भिजवाए ।

2.प्रत्येक मज्लिस स्थानीय ज़रूरतों तरबियती क्लासों तथा बैठकों के लिए स्थानीय तौर पर अनुदान जमा करने के लिए साल भर की ज़रूरतों के अनुसार समय से पहले बजट बना कर दफतर ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत को भिजवाए ताकि उसकी मंज़ूरी के बारे में कार्यवाही की जा सके तथा मरकज़ी दफतर से अनुदान लेने की मंज़ूरी के बाद ही मज्लिसें अनुदान प्राप्त कर सकेंगी । अनुदान की आय और व्यय का हिसाब नियमित तौर पर रखें और नक़ल ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत के दफतर में भिजवाएं ।

ज़रूरी होगा कि ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल का हर प्रकार का चन्दा तथा अनुदान और चन्दा "मिश्कात" तथा चन्दा "राहे ईमान" केन्द्रीय दफतर की ओर से जारी की गई ख़ुद्दामुल अहमदिया की रसीद बुक्स पर ही वुसूल किया जाए। किसी मज्लिस को स्थानीय तौर पर कोई रसीद बुक प्रकाशित करने की कदापि आज्ञा नहीं है।

नोट :- अनुदानों की वुसूली जमाअती चन्दों या ख़ुद्दामुल अहमदिया के अनिवार्य चन्दों को प्रभावित न करे ।

(ङ) विविध मामले

1.ख़त्म हो चुकी रसीद बुक्स की वापसी की सूची इन्स्पेक्टर्स और प्रतिनिधियों द्वारा जांच के बाद अपने साथ दफतर में लाएं ताकि उस मज्लिस

के खाते से उन रसीद बुक्स का निष्कासन हो सके। ख़त्म हो चुकी रसीद बुक्स मज्लिसें अपने रिकार्ड में रखें। प्रत्येक मज्लिस अपने पास मौजूद रसीद बुक्स का पूर्ण रिकार्ड रखे ।

2. किसी प्रकार की रकम बिना रसीद के वुसूल न की जाए ।

3. रसीद काटते समय कार्बन पेपर का अवश्य प्रयोग करें। यदि कोई रसीद ग़लत कट जाए तो मूल और प्रतिलिपि दोनों रसीदें एक साथ रसीद बुक में अपने स्थान पर दोबारा लगा कर उन पर केन्सिल लिख कर हस्ताक्षर किए जाएं ।

तहरीक जदीद विभाग

प्रत्येक मज्लिस में एक "नाज़िम" तहरीक जदीद नियुक्त किया जाए।

*-तहरीक जदीद के माली जिहाद के दो भाग हैं :-

(1) वादों की प्राप्ति ।

(2) वादों की वुसूली

जहां तक तहरीक जदीद के वादों की प्राप्ति का संबंध है प्रत्येक मज्लिस अपने शत (100) प्रतिशत ख़ुद्दाम से शीघ्र से शीघ्र वादे प्राप्त करके उनकी सूची कार्यालय ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत को भिजवाए और अपने पास वादों और वुसूली का रिकार्ड रखे। फिर वर्ष की शेष अवधि में ख़ुद्दाम को वादों की अदायगी की ओर ध्यान दिलाते रहें, यह भी प्रयास करें कि आर्थिक सामथ्र्य रखने वाले सज्जन "विशेष सहयोगी" मुजाहिदों की सूची में सम्मिलित हों। (जिनका वादा एक हज़ार रुपए या इस से अधिक हो वह "विशिष्ट सहयोगी" कहलाएगा)

*-प्रत्येक मज्लिस प्रयास करे कि उस का कम से कम एक सदस्य इस्लाम की सेवा के लिए जीवन समर्पित (वक़्फ़) करे (बड़ी मज्लिसें जहां ख़ुद्दाम की संख्या 50 से अधिक है वे अपने ऊपर इस बात को अनिवार्य समझें) इस उद्देश्य के लिए वर्ष में कम से कम "जीवन वक़्फ़" के विषय पर दो भाषण करवाए जाएं।

*- सामान्य सभा में कभी-कभी ख़ुद्दाम को समान्य जीवन के विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया जाए तथा इस बात की ओर विशेष ध्यान रहे

और नियमित निरीक्षण होता रहे कि ख़ुद्दाम लिबास और आहार इत्यादि में सादगी धारण कर रहे हैं। इसी प्रकार तहरीक जदीद की अन्य मांगों को भी हर संभव उपाय से पूरा करने का प्रयास किया जाए तहरीक जदीद का आर्थिक वर्ष प्रथम नवम्बर से प्रारंभ होता है।

वक़ारे अमल (श्रमदान) विभाग

वक़ारे अमल की वास्तविक भावना यह है कि युवाओं में यह भावना पैदा की जाए कि काम करना सम्मान का कारण तथा किसी काम या व्यवसाय को तथा उससे सम्बन्ध किसी व्यक्ति को घृणा और तिरस्कार से न देखा जाए, सामान्य जीवन में अपने कार्य स्वयं अपने हाथ से करने की आदत पैदा की जाए, परिश्रम, मेहनत, पराक्रम की आदत डाली जाए। वक़ारे अमल व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है और सामूहिक स्तर पर भी।

(क) व्यक्तिगत वक़ारे अमल

निम्नलिखित बातों की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिलाया जाए और साथ-साथ देखा जाए कि उस पर कहाँ तक :-

1. घरेलू काम-काज में हाथ बंटाना।
2. सौदा इत्यादि स्वयं खरीद कर लाना।
3. यात्रा करते समय अपना सामान यथासंभव स्वयं उठाना।
4. मस्जिद, कब्रिस्तान, जमाअती इमारतें, गली और मुहल्ले की सफाई।
5. अपने कपड़े स्वयं धोना ।
6. अपने जूते स्वयं पालिश करना ।

(ख) सामूहिक वक़ारे अमल

मज्लिसें अपनी परिस्थितियों और साधनों के अनुसार प्रत्येक माह में कम से कम एक सामूहिक वक़ारे अमल अवश्य करें। जिसमें समस्त सदस्य सम्मिलित हों। सामूहिक वक़ारे अमल में सड़कों की मरम्मत, नालियों, निकलने-बैठने के स्थानों, मार्गों की मरम्मत और सफाई, गढ़ों को भरना, मस्जिदों तथा नमाज़ पढ़ने के केन्द्रों, कब्रिस्तान और जमाअती इमारतों की सामूहिक स्वच्छता, पौधे लगाना, पुलों, सार्वजनिक पार्कों, खेल के मैदानों की मरम्मत और तैयारी तथा आस-पास को सुसज्जित करना इत्यादि सम्मिलित हैं। आवश्यक है कि वर्ष में

दो आदर्श वक़ारे अमल किए जाएं।

आदर्श स्तर के वक़ारे अमल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :-

1. उपस्थिति की दृष्टि से कम से कम 60 प्रतिशत ख़ुद्दाम का प्रतिनिधित्व हो।

2. वक़ारे अमल के स्तर की दृष्टि से किया गया कार्य स्पष्ट तौर पर दिखाई देने वाला तथा सार्वजनिक भलाई से संबंध रखने वाला हो । उदाहरणतया पुल का निर्माण, सड़क की मरम्मत, मस्जिद और मिशन हाऊस का निर्माण, किसी मुहताज के घर का निर्माण अथवा किसी सार्वजनिक स्थल उदाहरणस्वरूप अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड इत्यादि की सजावट और स्वच्छता आदि।

3. समय की दृष्टि से कम से कम इस पर तीन घंटे का समय लगाया गया हो।

4. अत्फ़ाल को भी सम्मिलित करके ख़ुद्दाम के कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करने का प्रशिक्षण दिया जाए।

5. प्रान्तीय/मंडलीय (ज़ोनल) स्तर पर भी वर्ष में कम से कम एक बार आदर्श स्तर का वक़ारे अमल का प्रोग्राम बनाया जाए ।

आदर्श वक़ारे अमल के सन्दर्भ में कुछ आवश्यक निर्देश

1. अपने क्षेत्र के किसी प्रभावशाली व्यक्ति को आरंभ या समापन के अवसर पर निमंत्रण दें ।

2. जमाअती लोगों के अतिरिक्त लोगों की चर्चाएं और समीक्षाएं भी केन्द्रीय कार्यालय में भिजवाएं ।

3. यदि समाचार पत्र इत्यादि में रिपोर्ट या फोटो प्रकाशित हो तो उसकी कटिंग भिजवाएं ।

4. वक़ारे अमल की निश्चित रिपोर्ट जल्दी से जल्दी केन्द्रीय दफतर को भिजवाएं। आदर्श वक़ारे अमल की रिपोर्ट फोटो सहित "मिश्कात" और "राहे-ईमान" में प्रकाशन हेतु भिजवाएं ।

निम्नलिखित बातों की योजना बना कर प्रत्येक मज्लिस उस के अनुसार कार्य और निश्चित रिपोर्ट भिजवाए।

वृक्षारोपण

वृक्षारोपण सप्ताह मनाकर विशेषकर मस्जिद और जमाअती भवन के साथ उचित स्थानों पर फूल और छायादार वृक्ष लगाना, सड़क के किनारे और ख़ाली स्थानों पर छायादाार वृक्ष लगाएँ ।

*-प्रत्येक मज्लिस के पास वक़ारे अमल के लिए उचित सामान होना चाहिए और उसकी ठीक ढंग से सुरक्षा होना चाहिए अपितु प्रयास करना चाहिए कि उसमें बढ़ोतरी होती रहे। केन्द्रीय प्रतिनिधियों और इन्सपैक्टर्स अपने निरीक्षण भ्रमण में यह देखेंगे कि मज्लिस के पास वक़ारे अमल का उचित सामान मौजूद है या नहीं।

व्यवसाय और व्यापार विभाग

1. अहमदी युवाओं की बे रोज़गारी और बेकारी दूर करने के लिए प्रयास किया जाए और व्यापार जैसे सम्माननीय पेशे के खोए हुए सम्मान को पुन: स्थापित करते हुए उन्हें लोहार, दर्ज़ी, बढ़ई, इत्यादि के काम सीखने तथा व्यापार का व्यवसाय करने की प्रेरणा दी जाए, विशेषकर विद्यार्थियों को टेक्नीकल संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने की नसीहत की जाए। इसी प्रकार देहात में रहने वाले ज़मींदारी इत्यादि करने वाले युवाओं को खेती-बाड़ी, मुर्ग़ीख़ाना, मछली पालन और माली का काम जैसी कलाओं के कोर्सेज़ से परिचित कराया जाए तथा जिनके पास देहात में कुछ अधिक कार्य नहीं (जैसे ज़मीन थोड़ी है तथा काम करने वाले लोग अधिक हैं) उनको घर से बाहर निकल कर कोई अन्य कार्य करने की प्रेरणा दी जाए। ऐसे बेकार ख़ुद्दाम की एक सूची उनकी शैक्षणिक योग्यता और विशेष कुशलता प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइद को भिजवाई जाए ताकि काम की खोज करने में उनका उचित मार्ग-दर्शन कर सके।

2. प्रत्येक ख़ादिम अपने व्यवसाय के अतिरिक्त कम से कम एक कला अवश्य सीखे।

3. किसी कला (हुनर) को जानने वाला ख़ादिम प्रति वर्ष कम से कम एक ख़ादिम को अपनी कला मुफ्त सिखाए।

4. मज्लिसों में अपने-अपने स्थान पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रयत्न करें।

5. प्रान्तीय/मंडलीय (ज़ोनल) स्तर पर एक कमेटी स्थापित की जाए जिस में नाज़िम (प्रबन्धक) उद्योग तथा व्यापार और भिन्न-भिन्न व्यवसायों से संबंधित विशेषज्ञ सम्मिलित हों। इस कमेटी के सदस्यों के नामों की स्वीकृति केन्द्र से प्राप्त की जाए । यह कमेटी आवश्यकतानुसार सभा आयोजित करके बेरोज़गार ख़ुद्दाम की पड़ताल करके उनकी यथास्थिति जीविका का साधन और व्यवसाय बताए। कमेटी के पास व्यवसाय के अवसरों की जानकारी भी उपलब्ध हो। "काइद" अपने यहाँ उपलब्ध व्यवसाय के अवसरों का विवरण केन्द्र को भेजें ताकि उन जानकारियों से अन्य ख़ुद्दाम को भी लाभ पहुँचाया जा सके।

6. स्थानीय सालाना समारोहों के अवसरों पर ख़ुद्दाम की हैन्डी क्राफ्ट्स वस्तुओं की प्रदर्शिनी और विक्रय का प्रबन्ध भी किया जाए ताकि अन्य ख़ुद्दाम में भी प्रेरणा उत्पन्न हो ।

7. मज्लिसों में मौजूद भिन्न-भिन्न कला जानने वाले विशेषज्ञ और व्यापारियों की सूची विवरण सहित केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाई जाए ।

8. जिन स्थानों पर कोई टेक्नीकल ट्रेनिग सेन्टर मौजूद हों वे मज्लिसें उन संस्थानों के सम्पूर्ण विवरण से केन्द्र को सूचित करें ।

9. ख़ुद्दाम को आसान कलाएं जो घरेलू तौर पर प्रयोग हो सकती हों सिखाई जाएं।

10. टाइपिंग तथा कम्प्यूटर की शिक्षा भी ख़ुद्दाम के लिए अत्यन्त लाभप्रद है।

11. छुट्टियों में ख़ुद्दाम विद्यार्थियों को विभिन्न शिल्पकारियां सीखने के लिए मज्लिस की ओर से प्रेरणा दी जाए ताकि अवकाश के समयों का उत्तम रंग में लाभ उठाएं ।

12. भिन्न-भिन्न profession से संबंधित विशेषज्ञों को बुला कर ख़ुद्दाम को उनके शिल्प (हुनर) से परिचित कराया जाए तथा मज्लिस की ओर से ख़ुद्दाम को vocational Training (व्यवसायिक प्रशिक्षण) के संबंध में समस्त जानकारियां समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएं ।

13. मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत के प्रबंध के अन्तर्गत युवाओं को शिल्प सिखाने के उद्देश्य से क़ादियान दारुल अमान में "दारुस्सनअत" और कम्प्यूटर इन्स्टीट्यूट स्थापित हैं ख़ुद्दाम इन से भी यथाशक्ति लाभ उठाने का प्रयत्न करें। आदरणीय क़ाइद समय-समय पर ख़ुद्दाम को इस ओर विशेष ध्यान दिलाते रहें ।

स्वास्थ्य विभाग

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह तृतीय रहिमहुल्लाहा फरमाते हैं कि:-

"पश्चिमी क़ौमों... को हम पराजित नहीं कर सकते जब तक स्वास्थ्य के मैदान में हम उन्हें पराजित न करें अर्थात् स्वास्थ्य की दृष्टि से। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हम उनसे आगे निकलने वाले हों, अधिक मेहनत से कार्य करने वाले हों।"

(अलफ़ज़ल जलसा सालाना नम्बर, 1981 ई.)

स्वच्छता, स्वास्थ्य की सुरक्षा व्यक्तिगत तथा सामूहिक खेलें

1. ख़ुद्दाम को स्वच्छता के बारे में नियम सिखाए जाएं उनका पालन करने की नसीहत की जाए । इस उद्देश्य के लिए स्थानीय बैठकों इत्यादि में स्वास्थ्य सुरक्षा के विभिन्न विषयों पर उदाहरणतया शारीरिक स्वच्छता, घरों, गलियों, मुहल्लों की स्वच्छता, संतुलित आहार, नशा तथा धूम्रपान इत्यादि की हानियां तथा व्यायाम और खेल के लाभ इत्यादि पर विशेषज्ञों और डाक्टरों तथा अन्य लोगों से तक़रीर करवाई जाएं ।

2. वर्ष में कम से कम एक बार समस्त ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल की सेहत के चेक करने का भी प्रबन्ध हो ।

3. पिकनिक और "कुलू जमीआ" (सामूहिक रूप से मिलकर भोजन करना) के द्वारा स्वास्थ्य वर्धक मनोरंजन के व्यवस्थित अवसर उपलब्ध किए जाएं ।

स्वास्थ्य-सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए :-

(क) स्वच्छ लिबास पहनना और पवित्र रहना ।

(ख) नियमित रूप से स्नान करना तथा शरीर को मैल से स्वच्छ रखना।

(ग) समारोहों और बैठकों इत्यादि में सम्मिलित होने के लिए खुशबू लगाकर जाना।

(घ) बदबू वाली चीज़ जैसे प्याज़, लहसन खाकर सभाओं में न जाना।

(ङ) छींकने, जमाई लेने और खांसने से संबंधित इस्लामी नियमों का ध्यान रखना। ये बातें ज़ाहिर में यद्यपि कि छोटी-छोटी हैं परन्तु इन का ध्यान न रखना सोसाइटी को अच्छा नहीं रहने देता बल्कि रोगों के फैलने का कारण भी बनता है।

4.सामूहिक खेल :- सामूहिक खेलों जैसे कबड्डी, फुटबाल, बैडमिन्टन,

वाली बाल, हाकी, बास्किट बाल इत्यादि की ओर यथायोग्य ध्यान दिया जाए। प्रत्येक मज्लिस सामूहिक खेल की कोई न कोई टीम तैयार करे और अच्छे खिलाड़ियों के नाम और विवरण केन्द्रीय कार्यालय में भिजवाए। उसकी एक प्रति प्रान्तीय/मंडलीय "क़ाइद" को भिजवाए ।

5. मुहल्ले, शहर या ज़िले की अन्य टीमों के मध्य मुक़ाबले कराए जाएं, खेल का स्तर बढ़ाने और स्पर्धा की रूह को जागृत करने के लिए मुक़ाबले बहुत ज़रूरी होते हैं।

6.व्यक्तिगत खेलें :- वर्ष के आरंभ से ही समस्त ख़ुद्दाम को व्यक्तिगत खेलों जैसे दौड़, छलांग लगाना, गोला फेंकना इत्यादि में रुचि उत्पन्न करने की ओर ध्यान दिलाएं।

7.स्थानीय तौर पर खिलाड़ी ख़ुद्दाम की निगरानी करें कि वे वर्ष के मध्य मेहनत, लगन और दृढ़ता के साथ अपने स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न करें। यथासंभव अहमदिया स्पोर्ट्स क्लब स्थापित करें। ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल के लिए जमाअती तौर पर मस्जिद के निकट ही खेल का प्रबन्ध किया जाए ताकि प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से उनकी उचित निगरानी की जा सके और वे जमाअत के साथ नमाज़ की अदायगी कर सकें और समाज की बुराइयों से सुरक्षित रह सकें।

8. ख़ुद्दाम की सामान्य जांच करके ऐसे ख़ुद्दाम को खेलों पर तैयार करें जो शक्ति की दृष्टि से योग्यता रखते हों परन्तु मात्र आलस्य या अज्ञान होने के कारण नष्ट हो रहे हों और उनके प्रशिक्षण और नमाज़ों में उपस्थिति का प्रबन्ध करें। प्रत्येक खेल में नए खिलाड़ी तैयार करें।

9. यदि किसी मज्लिस की अपनी टीम न हो परन्तु ख़ुद्दाम अन्य टीमों में नियमित रूप से भाग लेते हों तो ऐसे ख़ुद्दाम और उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के विवरण का रिकार्ड रखा जाए।

10. प्रत्येक मज्लिस परिस्थितियों और सामथ्र्य के अनुसार अपने सदस्यों के लिए स्वास्थ्य वर्धक ख़ुद्दाम क्लब की स्थापना करे ताकि ख़ुद्दाम वहाँ आकर व्यायाम कर सकें।

रोज़ाना सैर

ख़ुद्दाम में रोज़ाना सुबह की सैर की आदत पैदा की जाए तथा इस बारे में विशेष तौर पर बल दिया जाए ।

साइकिल सवारी

ख़ुद्दाम में साईकल सवारी का विशेष तौर पर प्रचलन किया जाए तथा ख़ुद्दाम को साइकिल पर लम्बी यात्रा करने तथा तीव्रगति का अभ्यास कराया जाए। ऐसे ख़ुद्दाम जो साइकिल, मोटर साईकिल चलाना न जानते हों उन्हें चलाना सिखाया जाए और वर्ष में कम से कम एक बार साइकिल टूर का प्रोग्राम रखा जाए। प्रान्तीय/मंडलीय/केन्द्रीय बैठकों में प्रयास किया जाए कि निकटवर्ती मज्लिसों के सदस्य साइकिल टूर के द्वारा इन सभाओं में भाग लें।

घुड़ सवारी और तैराकी

परिस्थितियों के अनुसार अधिक से अधिक ख़ुद्दाम को घुड़सवारी की नसीहत की जाए और ऐसे ख़ुद्दाम के विवरण केन्द्र में भिजवाए जाएँ । ख़ुद्दाम को तैरना सीखने की ओर भी ध्यान दिलाते रहें।

निशाना ग़ुलेल

ख़ुद्दाम में ग़ुलेल का प्रचलन किया जाए और समय-समय पर ग़ुलेल के मुक़ाबलों का आयोजन किया जाए । इस बात की बारम्बार नसीहत करें कि प्रत्येक ख़ादिम के पास उसकी अपनी ग़ुलेल हो।

खेल और (अदब)शिष्टचार

खेल के मध्य, सत्य, आज्ञापालन, नियम और शिष्टाचार की अवहेलना न की जाए। ख़ुद्दाम में विशाल साहस पैदा करने का प्रयास किया जाए स्पर्धा की भावना के बावजूद पराजय को प्रफुल्लता के साथ स्वीकार करना और ग़लत समझते हुए भी रेफरी के फैसला को नि:संकोच स्वीकार करना ऐसे शिष्टाचार हैं जिनके अभाव में कोई खिलाड़ी कहलाने का पात्र नहीं रहता। इस दृष्टिकोण को बारम्बार ख़ुद्दाम के सामने लाया जाए कि जब तक हम अन्य समस्त विशेषताओं की तरह खेल के मैदान में भी दूसरों से अग्रसर नहीं होते हमें सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों में प्रत्येक मुक़ाबले से पहले दुआ करने की आदत पैदा करें तथा उन्हें इस्लामी आचरण की पाबन्दी और ग़ैर इस्लामी परम्पराओं जैसे ज़मीन को हाथ लगाकर सिर पर लगाना तथा बुज़ुर्गों के पैर छूना आदि बातों से बचना चाहिए एवं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां और

सीटियां बजाने के स्थान पर "हब्बज़ा" (वाह-वा, अति उत्तम) कहने के ढंग को प्रचलित किया जाए । शारीरिक स्वास्थ्य के नाज़िम (प्रबन्धक) केन्द्रीय हिदायतों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर उनके अनुसार अपने स्थानीय प्रोग्राम निर्धारित करें।

प्रकाशन विभाग

1. प्रत्येक मज्लिस अपने नाम ""मिश्कात" और ""राहे ईमान" पत्रिकाएं जारी कराए। प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइद इस बारे में विशेष तौर पर प्रयास करें और धनवान लोगों को प्रेरित करके आर्थिक सामथ्र्य न रखने वाली मज्लिसों के नाम पत्रिकाएं जारी कराई जाएं तथा प्रचार संबंधी अख़बार जारी कराएं।

2. बक़ायादारों से बक़ाया राशि वुसूल करने में केन्द्र की सहायता की जाए।

3. शिक्षित लोगों को ""मिश्कात" और ""राहे ईमान" के लिए ज्ञान संबंधी, धार्मिक प्रशिक्षण तथा साहित्यिक लेख लिखने की प्रेरणा दिलाई जाए।

4. मज्लिसों के क़ाइद इस बात का प्रबन्ध करें कि अधिक से अधिक ख़ुद्दाम पत्रिका ""मिश्कात" के ख़रीदार बनें । बड़ी मज्लिसें इस ओर विशेष ध्यान दें।

5. मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया और मज्लिस अत्फ़ालुल अहमदिया के प्रकाशन योग्य प्रयासों की संक्षिप्त रिपोर्ट फोटो सहित "बदर" "मिश्कात्" और "राहे ईमान" में प्रकाशन के लिए मासिक रिपोर्टों से पृथक केन्द्र में भिजवाई जाएं।

6. शहरी मज्लिसें "मिश्कात" के लिए विज्ञापन प्राप्त करके केन्द्र में भिजवाएं।

7. स्थानीय प्रेस से संबंध और सम्पर्क पैदा किया जाए तथा अपनी उल्लेखनीय कोशिशों को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए और प्रकाशित कोशिशों की प्रतियां केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाई जाएं ।

8. लेखकों और ख़ुद्दाम को प्रेरित किया जाए कि वे देश की भलाई से संबंधित अपने लेखों और पत्रों को समाचार पत्रों में भिजवाएँ। हां जमाअती दृष्टिकोण और आस्थाओं पर आधारित लेखों के प्रकाशन से पूर्व केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है तथा अपनी कोशिशों का मासिक रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

9. प्रत्येक "नाज़िम प्रकाशन" का कर्त्तव्य है कि वह लेखों, सरकुलर्ज़ और भाषणों के द्वारा मज्लिस के सदस्यों को ख़ुद्दामुल अहमदिया के उद्देश्यों, लक्ष्यों और कार्यक्रम से अवगत रखे।

10. केन्द्रीय कार्यालय की आज्ञा के बिना मज्लिसें कोई ऐसा प्रकाशन न करें जिसका दायित्व मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया पर आता हो। ऐसे मसौदे प्रकाशित होने से पूर्व स्वीकृति के लिए केन्द्रीय कार्यालय में भिजवाए जाएँ (मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया के विभागों से संबंधित ख़ुद्दाम या क्षेत्रों को भिजवाई जाने वाले निर्देश इस से अलग होंगे।)

11. हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला के ख़ुतबात और भाषणों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके प्रत्येक ख़ादिम और तिफ़्ल तक पहुँचाने का प्रबन्ध किया जाए ।

उमूमी (सामान्य) विभाग

इस विभाग का उद्देश्य यह है कि ख़ुद्दाम के अन्दर सतर्कता, जागरूकता तथा बात की तह तक तुरन्त पहुँचने वाला मस्तिष्क पैदा किया जाए और संसार की वर्तमान परिस्थितियों और जमाअत के बारे में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से अवगत किया जाए ।

1. समस्त केन्द्रीय निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाए।

2. प्रत्येक मज्लिस अपने यहाँ सुरक्षा टीम के लिए ऐसे ख़ुद्दाम का चयन करे जो स्वास्थ्य और शक्ति की दृष्टि से सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों की अदायगी कर सकते हों। ऐसे ख़ुद्दाम को कराटे आदि कला का प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त नियमित व्यायाम कराया जाए तथा जमाअती आयोजनों उदाहरणतया दोनों ईदें, समारोहों और बैठकों (इज्लासों) के अवसरों पर उन ख़ुद्दाम को सुरक्षा सेवाओं पर नियुक्त करके उन का अभ्यास कराया जाए तथा उन ख़ुद्दाम की सूची केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाई जाए ताकि जलसा सालाना अथवा अन्य जमाअती आयोजनों में उन ख़ुद्दाम से सेवाएँ ली जा सकें।

3. प्रत्येक जुमा के दिन जमाअती मस्जिदों तथा नमाज़ के केन्द्रों में ख़ुद्दाम सुरक्षा के लिए पहरा दें।

4. राष्ट्रीय, क़ौमी, राजनैतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर केन्द्र को

गोपनीय तौर पर सूचना देते रहें।

5. राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना में कितने ख़ुद्दाम सम्मिलित हैं उनकी निश्चित संख्या विवरण सहित केन्द्र को भेजें तथा उसकी एक प्रति प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइद को भी भिजवाई जाए तथा अन्य ख़ुद्दाम को भी सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी जाए।

6. देश में अमन, शान्ति, क़ौमी एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाए धार्मिक और जातीय भेदभाव के बिना प्रत्येक के साथ सहानुभूति का व्यवहार किया जाए।

हिसाब-किताब की जांच-पड़ताल विभाग (मुहासिबा)

1. प्रत्येक मज्लिस का मुहासिब प्रत्येक तिमाही के अन्त पर मज्लिस के हर प्रकार के हिसाब और चन्दों की वुसूली (अनुदानों की वुसूली, स्थानीय ख़र्चों तथा केन्द्रीय भाग का भेजना इत्यादि) की पड़ताल करके सीधे सदर मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत की सेवा में अपनी विस्तृत रिपोर्ट भिजवाए और उसकी नक़ल "क़ाइद मज्लिस" को भी दे तथा क़ाइद को अनियमितताओं की सूचना दे।

2. प्रत्येक मुहासिब प्रान्तीय/मंडलीय का कर्तव्य है कि प्रान्तीय/मंडलीय नेतृत्व (कियादत) के सम्पूर्ण हिसाबों की प्रत्येक तिमाही में पड़ताल करके सीधे सदर मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत की सेवा में अपनी विस्तृत रिपोर्ट भिजवाए और उसकी नक़ल संबंधित "क़ाइद" को भी दे।

3. स्थानीय मुहासिब के अतिरिक्त केन्द्रीय मुहासिब या उनका कोई प्रतिनिधि भी सामथ्र्य के अनुसार मज्लिसों में जाकर मज्लिस के आय-व्यय के हिसाबों का सालाना गोशवारा (सारणी) की पड़ताल करेंगे।

4. वर्ष के अन्त पर प्रत्येक मज्लिस आय-व्यय का सालाना गोशवारा बनाकर केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाए, जिसके लिए अन्तिम तिथि 21, नवम्बर होगी । मासिक रिपोर्ट में मुहासिब की कार्यकुशलता से भी सूचित किया जाए।

5. प्रत्येक मज्लिस केन्द्रीय कार्यालय के बनाए हुए रोज़नामचे और खाता-फ़ार्मों के अनुसार हिसाब किताब रखे।

6. मुहासिब हिसाब-किताब की पड़ताल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि ख़ुद्दाम की रसीद बुक्स पर ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल के अनिवार्य चन्दों तथा राष्ट्रीय आफिस से अनुमोदित अनुदानों के अतिरिक्त कोई अन्य चन्दा वुसूल न किया गया हो तथा कोई रसीद बिना विवरण के न हो अर्थात् विवरण के साथ यह भी उल्लेख हो कि किस खाते में कितनी राशि वुसूल की गई है।

7. मुहासिब का कर्तव्य है कि वह मज्लिस की सम्पत्ति की रक्षा के लिए स्टाक रजिस्टर तथा उसके अनुसार मौजूद सामान की पड़ताल करे तथा अनुचित ख़र्चों को रोक कर बचत की भावना पैदा करे।

मज्लिस अत्फ़ालुल अहमदिया का कार्यक्रम

1. सामान्य विभाग

1. मज्लिस अत्फ़ालुल अहमदिया मासिक कार्यकुशलता रिपोर्ट अत्फ़ालुल अहमदिया के निर्धारित रिपोर्ट फार्म पर अगले माह की 5 तारीख तक केन्द्रीय कार्यालय को अवश्य भिजवा दी जाए ताकि केन्द्रीय कार्यालय परिस्थितियों से अवगत होकर उचित रंग में मज्लिसों का मार्ग-दर्शन कर सके। रिपोर्ट की एक प्रति प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइद को भी भिजवाई जाए और एक प्रति अपने पास रखी जाए। हर माह अत्फ़ाल की सामान्य बैठक आयोजित की जाए । यह बैठक अधिक से अधिक लाभप्रद और रुचिकर बनाने का पूर्ण प्रबन्ध किया जाए तथा प्रयास किया जाए कि हर तिफ़्ल किसी न किसी रंग में बैठक के प्रोग्राम में भाग ले।

2. मासिक रिपोर्टों के अतिरिक्त मज्लिस के महत्वपूर्ण कार्यों की रिपोर्ट पृथक तौर भी भेजी जाए तथा ख़ुद्दाम की सालाना रिपोर्ट के साथ अत्फ़ाल की सालाना रिपोर्ट भी भेजी जाए ताकि मज्लिसों की तुलना के अवसर पर प्रस्तुत की जा सके।

3. समस्त नाज़िम अत्फ़ाल प्रति माह "मज्लिसे आमिला" की कम से कम दो बैठकें अवश्य आयोजित कराएं।

4. उमूमी सेक्रेटरी(सामान्य सेक्रेटरी) अपनी मज्लिस की सम्पूर्ण कार्यवाही का रिकार्ड तथा केन्द्रीय मुद्रित लिटरेचर, सरकुलर्ज़, सम्पूर्ण पत्राचार का

रिकार्ड, मज्लिस की हर प्रकार की सम्पत्ति सुरक्षित रखने, केन्द्रीय कार्यालय को यथासमय रिपोर्ट भिजवाने तथा केन्द्रीय कार्यालय और स्थानीय पदाधिकारियों से आने वाले हर पत्र में पूछी गई बातों का यथासमय उत्तर देने का ज़िम्मेदार होगा । इसी प्रकार समस्त सेक्रेटरीज़ से प्रत्येक माह की रिपोर्ट प्राप्त करने का ज़िम्मेदार होगा।

5. प्रत्येक मज्लिस से सालाना केन्द्रीय सम्मेलन पर अत्फ़ाल का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व कराया जाए।

नामांकन विभाग

1. स्थानीय मज्लिस के समस्त अत्फ़ाल के निम्नलिखित विवरण नामांकन रजिस्टर में लिखे जाएं और 31, दिसम्बर तक नामांकन सूची पूर्ण करके उसकी एक नामांकन सूची पूर्ण करके उसकी एक प्रति कार्यालय मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत को भिजवाई जाए । नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शिक्षा, पिता या अभिभावक का पूर्ण पता, "क़ायदा यस्सरनल क़ुर्आन तथा क़ुर्आन करीम नाज़िरा (देख कर पढ़ने का ज्ञान) नमाज़ बिना अनुवाद/ अनुवाद सहित जानते हैं, "तहरीक वक़्फ़े नौ" में सम्मिलित हैं, तहरीक जदीद में सम्मिलित हैं, शैक्षणिक विशेष योग्यताएँ । ये सारे विवरण एक रजिस्टर में लिखे जाएं। याद रहे कि सात से पन्द्रह वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बच्चा अनिवार्यरूप से मज्लिस अत्फ़ालुल अहमदिया का सदस्य समझा जाएगा, सात से बारह वर्ष तक के अत्फ़ाल द्वितीय ग्रुप में और तेरह से पन्द्रह वर्ष तक के अत्फ़ाल प्रथम ग्रुप में सम्मिलत होंगे।

प्रशिक्षण विभाग

1. कोशिश की जाए कि प्रत्येक अहमदी बच्चा जमाअत के साथ नमाज़, दुआओं, सत्य बोलने और ईमानदारी का पाबन्द हो । अपने माता-पिता, शिक्षकों और बुज़ुर्गों का यथायोग्य सम्मान करने वाला, आज्ञापालक, शिष्ट तथा मज्लिस के नियमों का ध्यान रखने वाला हो । इस उद्देश्य के लिए विद्वानों और बुज़ुर्गों से प्रशिक्षण संबंधी भाषण कराए जाएं तथा मुरब्बी लोग प्रशिक्षण की दृष्टि से बच्चों की देखभाल करें।

2. अत्फ़ाल को उनके वादे का समय-समय पर भाषणों इत्यादि के माध्यम

से उचित ज्ञान कराया जाए और प्रयत्न किया जाए कि प्रत्येक तिफ्ल को अपना वादा भली-भाँति मौखिक तौर पर याद हो।

3. प्रत्येक माह में कम से कम एक प्रशिक्षण सम्बन्धी समारोह का आयोजन किया जाए जिसमें प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए और उस समारोह में शत-प्रतिशत अत्फाल को उपस्थित किया जाए।

4. मौसमी छुट्टियों में कम से कम पन्द्रह दिवसीय प्रशिक्षण क्लास का प्रबन्ध किया जाए जिसमें इस्लामी शिक्षा, शिष्टाचार और नियमों के बारे में विशेष ध्यान दिलाया जाए।

5. प्रान्तीय/मंडलीय नेतृत्व (क़ियादत) के अन्तर्गत आयोजित होने वाली प्रशिक्षण क्लासिज़ में अपनी मज्लिस के अधिक से अधिक अत्फ़ाल को सम्मिलित करें।

6. अत्फ़ाल को एम.टी.ए. देखने की अधिक से अधिक प्रेरणा दें और विशेष देखभाल की जाए विशेषकर हुज़ूर अनवर के ख़ुतबाते जुमा, "वाक़िफ़ीने नौ" की क्लास, "गुलशन वक़्फ़े नौ" और "बुस्तान वक़्फ़े नौ" इत्यादि देखने का प्रबन्ध कराया जाए ।

7. अत्फ़ाल के अन्दर निम्नलिखित पांच शिष्टाचार स्थापित करने का प्रयास किया जाए ।

(1) सच

(2) नर्म और पवित्र ज़बान का प्रयोग

(3) प्रजा से हमदर्दी, दूसरों के कष्ट का अहसास और उसको दूर करना।

(4) उत्साह की विशालता ।

(5) दृढ़ संकल्प और साहस तथा निम्नलिखित बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।

(6) झूठ, चुग़ली, गाली-गलौज, लड़ाई, झगड़ा, अवज्ञा, व्यर्थ घूमना, निरर्थक कार्यों में समय नष्ट करना, चोरी, बेईमानी, बुरी संगत, नशीली वस्तुओं का प्रयोग, नंगे सर घूमना आदि।

8. आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के उपदेश अफ़्शुस्सलाम के अनुसार बच्चों को हर छोटे-बड़े को सलाम करके हाथ मिलाने की आदत

डाली जाए।

9. प्रत्येक तिफ्ल से हर महीने कम से कम एक बार हुज़ूरे अनवर की सेवा में दुआ के लिए पत्र लिखवाया जाए।

10. वाक़फ़ीन नौ अत्फ़ाल की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और इस बात की देखभाल की जाए कि वे संगठन के कर्मठ सदस्य बन जाएं।

11. यौमे वालिदैन का आयोजन हर छ: माही में क्षेत्रों के क्रमानुसार एक बार या मज्लिसों के क्रम में अवश्य किया जाए, जिस में जमाअत के पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित हों। उस दिन भिन्न-भिन्न माध्यमों को काम में लाते हुए माता-पिता को ध्यान दिलाया जाए कि प्रथम तो वे मज्लिस अत्फ़ालुल अहमदिया से पूर्ण सहयोग करें, द्वितीय वे स्वयं भी अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की ओर और अधिक ध्यान दें और बच्चों को धर्म के साधारण मसले तथा इस्लामी शिष्टाचार से परिचित कराते रहें।

12. प्रति वर्ष स्थानीय तौर पर प्रथम छ: माही में एक "सप्ताह अत्फ़ाल" (ज्ञान और व्यायाम संबंधी मुक़ाबलों का प्रोग्राम) का आयोजन किया जाए । इस सप्ताह के मध्य अत्फ़ाल की मज्लिसों के समस्त कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयत्न करें तथा अपने प्रयासों से कार्यालय को सूचित करें ।

शिक्षा विभाग

बच्चों में धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने की रुचि और स्पर्धा की भावना उत्पन्न करने तथा उनकी प्रतिभा को तेज़ करने के लिए प्रत्येक छ: माही में कम से कम एक बार उनके मध्य निम्नलिखित मुक़ाबले अवश्य करवाए जाएँ :-

1. तिलावत क़ुर्आन करीम, क़ुर्आन कण्ठस्थ करना, अनुवाद सहित नमाज़, अज़ान, ऩज्म, बैतबाज़ी, भाषण, सामान्य ज्ञान अवलोकन और ध्यान से देखना, संदेश पहुँचाना इत्यादि। उत्साह बढ़ाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले अत्फ़ाल को पुरस्कार प्रदान किए जाएँ।

2. सूरह अल-बक़रह की प्रारंभिक सत्रह आयतें और पारा "अम्म:" (तीसवां) की छोटी-छोटी सूरह बच्चों को मौखिक तौर पर याद कराई जाएँ ।

3. समस्त अत्फ़ाल को क़ायदा "यस्सरनल क़ुर्आन" और क़ुर्आन करीम नाज़िरा (देखकर पढ़ाना) सिखाने का प्रबन्ध किया जाए तथा अत्फ़ाल को

सादा नमाज़ का ज्ञान होना आवश्यक है । नमाज़ का अनुवाद और क़ुर्आन करीम का अनुवाद भी सिखाने का प्रयस किया जाए।

धार्मिक परीक्षा

यह परीक्षा प्रति वर्ष केन्द्र के अन्तर्गत ली जाती है और देश भर में विशेष योग्यता और पोज़ीशन प्राप्त करने वाले अत्फ़ाल को केन्द्रीय सालाना समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। इस परीक्षा के लिए अत्फाल को चार ग्रुप्स में बांटा गया है :-

1. सितारा अत्फाल 7 से 9 वर्ष के अत्फ़ाल के लिए।
2. हिलाल अत्फ़ाल 10 से 11 वर्ष के अत्फ़ाल के लिए ।
3. क़मर अत्फ़ाल 12 से 13 वर्ष ।
4. बदर अत्फ़ाल 14 से 15 वर्ष के अत्फ़ाल के लिए ।

नोट :- प्रत्येक वर्ष का पाठ्यक्रम मुहतमिम अत्फ़ाल की ओर से वर्ष के प्रारंभ में सरकुलर द्वारा मज्लिसों को भिजवाया जाएगा, जिस मज्लिस को सरकुलर न मिला हो वह केन्द्रीय कार्यालय से मंगवा सकती है और धार्मिक पाठ्यक्रम (दीनी निसाब) की पुस्तक "कामयाबी की राहें" भी केन्द्रीय कार्यालय से मंगवाई जा सकती हैं ।

आर्थिक विभाग

1. समस्त मज्लिसें अपने अत्फ़ाल के चन्दों का बजट अत्फ़ालुल अहमदिया के बजट फ़ार्म भर कर 31 दिसम्बर से पूर्व कार्यालय मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत को भिजवाएं और उसकी एक प्रति प्रान्तीय/ मंडलीय क़ाइद को भिजवाएं।

2. मज्लिस अत्फ़ाल के चन्दों का 33% भाग केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाएँ और 67% स्थानीय तौर पर अत्फ़ाल की भलाई के लिए व्यय करें। मज्लिस के चन्दे की दर कम से कम ढाई रुपए मासिक प्रति तिफ्ल है (सालाना 30 रुपए है)।

3. चन्दा सालाना समारोह प्रत्येक तिफ्ल से 5 रुपए सालाना वुसूल करके पूर्ण राशि केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाएँ ।

नोट :- ये चन्दे ख़ुद्दामुल अहमदिया की रसीद बुक्स पर वुसूल किए जाऐं

और उनका रोज़नामचे की तरह तारीख़ों के क्रमानुसार लिखें तथा प्रत्येक तिफ्ल का खाते के रूप में पृथक हिसाब रखें ताकि किसी समय भी सरलतापूर्वक उसकी पड़ताल की जा सके ।

4. प्रतिवर्ष परिस्थितियों के अनुसार एक बार "सप्ताह माल" का आयोजन किया जाए और उसमें भरपूर वुसूली का प्रयास किया जाए ।

वक़्फ़े जदीद विभाग

राष्ट्रीय (मुल्की) "मज्लिसे आमिला ख़ुद्दामुल अहमदिया" भारत, के साथ मीटिंग में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला ने वक़्फ़े जदीद के संबंध में उपदेश दिया कि:-

""हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह तृतीय रहिमहुल्लाह तआला ने वक़्फ़े जदीद को अत्फ़ालुल अहमदिया के सुपुर्द किया था, आप लोग भी वक़्फ़े जदीद का दायित्व अत्फ़ालुल अहमदिया पर डालें । नन्हें मुजाहिदीन प्रथम स्तर के लिए 200/- रुपए और द्वितीय स्तर के लिए 100/- रुपए रखें । इनकी एक विशेष सूची पृथक बनाएं और मुझे भिजवाएं, शेष सभी को सम्मिलित करें।"

(तकरीर हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह तआला ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत की मज्लिसे आमिला की मीटिंग आयोजित 7, जनवरी 2006 के अवसर पर)

हुज़ूरे अनवर अय्यदहुल्लाह तआला के उपर्युक्त उपदेशानुसार प्रत्येक "नाज़िम अत्फ़ाल" का कर्तव्य है कि वह अपनी मज्लिस के समस्त अत्फ़ाल को इस मुबारक तहरीक में सम्मिलित करे तथा प्रथम स्तर के नन्हें मुजाहिदों से 200/- रुपए और द्वितीय स्तर से 100/- रुपए चन्दा वक़्फ़े जदीद के वादों की क्रमश: नामानुसार सूची बना कर 31, जनवरी तक केन्द्रीय कार्यालय को भेजें ताकि देश भर की सूचियां एकत्र करके हुज़ूर अनवर की सेवा में भिजवाई जा सकें इस सूची की एक प्रति स्थानीय जमाअत को और एक प्रति प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइदों को भिजवाएं।

वक़ारे अमल (श्रमदान) विभाग

1. अत्फ़ाल को अपने हाथ से कार्य करने की नसीहत की जाए। उदाहरणतया बूट पालिश करना, कपड़े धोना, इस्तरी करना, झाड़ू देना, घर

का सौदा लाना, अपने घर-मुहल्ले और बाज़ार की सफाई करना, क़ब्रिस्तान इत्यादि की स्वच्छता का ध्यान रखना।

2. प्रतिमाह एक बार सामूहिक वक़ारे अमल कराया जाए। उचित होगा कि जब भी ख़ुद्दाम का वक़ारे अमल हो अत्फ़ाल को भी साथ ही सम्मिलित कर लिया जाए। यदि ऐसी व्यवस्था न हो सके तो अत्फ़ाल के लिए पृथक प्रोग्राम बना लिया जाए।

ख़िदमते ख़ल्क (जन-सेवा) विभाग

ख़िदमते ख़ल्क के कार्यों उदाहरणतया रोगियों की परिचर्या (तीमारदारी), पानी पिलाना, रास्ता बताना, पड़ोसियों का सौदा इत्यादि लाकर देना, मुहताजों की सहायता करना, इत्यादि में रुचिपूर्वक भाग लें।

स्वास्थ्य विभाग

1. क़ौमी स्वास्थ्य की उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम स्वास्थ्य और स्वच्छता के इस्लामी मापदण्ड तथा स्वास्थ्य रक्षा के सामान्य नियमों का पालन करें और स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली बातों से बचें । अत: सामान्य मीटिंग में अत्फ़ाल को स्वास्थ्य रक्षा के सामान्य नियमों से अवगत किया जाए।

2. बच्चों के विकास के लिए खेल आवश्यक है जो उन्हें व्यर्थ में इधर-उधर घूमने, बेकारी और निरर्थक कार्यों से भी बचाता है । अत: प्रयास किया जाए कि व्यक्तिगत खेल के अतिरिक्त मज्लिसों में सामूहिक खेलों जैसे कबड्डी, फुटबाल इत्यादि का भी प्रबन्ध किया जाए।

3. प्रत्येक छ: माही में खेलों के मुकाबले और टूर्नामेन्ट करवाए जाएं तथा वर्ष में कम से कम दो बार पिकनिक, सामूहिक भोजन (कुलू जमीआ) तथा अन्य मनोरंजन का प्रोग्राम भी बनाया जाए।

4. अत्फ़ाल के सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य, लिबास, दांतों और नाख़ूनों की सफ़ाई और भोजन से पूर्व हाथ धोना आदि बातों का बार-बार निरीक्षण करके सुधार हेतु ध्यान दिलाया जाए।

5. वर्ष में एक बार हर तिफ्ल की चिकित्सकीय जांच करवाई जाए ताकि यदि किसी तिफ्ल को कोई रोग हो तो उसके उपचार का व्यक्तिगत तौर पर यथासमय प्रबन्ध हो सके।

ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत की मज्लिसों के विशेष पुरस्कारों का स्तर

क्रम संख्या	विभाग	अंक
1	ऐतिमाद	100
2.	शिक्षा	130
3.	प्रशिक्षण	140
4.	प्रचार	120
5.	नए बैअत कर्ताओं का प्रशिक्षण	40
6.	विद्यार्थियों के मामले	70
7.	वक़ारे अमल (श्रमदान)	20
8.	अत्फ़ाल	40
9.	माल	140
10.	शारीरिक स्वास्थ्य	50
11.	उद्योग तथा व्यापार	40
12.	प्रकाशन	80
13.	ख़िदमतेख़ल्क़ (जन-सेवा)	70
14.	सामान्य	20
15.	मुहासिबा (हिसाब की पड़ताल)	40

1200 कुल योग

ऐतिमाद विभाग (100 अंक)

1.जुलाई से जून कुल 12 माह की कार्य-कुशलता की रिपोर्ट प्राप्त हुई हों, जिनमें से नौ यथासमय हों अर्थात् प्रत्येक माह की रिपोर्ट अगले माह की 5 तारीख तक कार्यालय को भेज दी गई हो।

नोट :- एक से अधिक मासिक रिपोटर्स इकट्ठी भिजवाने की स्थिति में मज्लिसों की तुलना के समय एक ही रिपोर्ट गिनी जाएगी सिवाए किसी अपवाद या आपातकालीन स्थिति के जिस के लिए पहले से ही सदर मज्लिस से अनुमति प्राप्त कर ली गई हो।

2. सालाना कार्य-कुशलता रिपोर्ट जुलाई माह तक भिजवाई गई हो।

3. पिछले केन्द्रीय समारोह में प्रत्येक मज्लिस का प्रतिनिधित्व दस प्रतिशत हो अर्थात् प्रत्येक दस ख़ुद्दाम में से एक ख़ादिम का प्रतिनिधित्व आवश्यक होगा जबकि क़ादियान की मज्लिस के लिए समारोह में कम से कम 80% उपस्थिति आवश्यक होगी।

4. प्रत्येक माह मज्लिसे आमिला की कम से कम एक मीटिंग हुई हो जिसमें कम से कम 2/3 पदाधिकारी सम्मिलित हुए हों तथा मज्लिसे आमिला की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रति माह मासिक रिपोर्ट के साथ भिजवाई गई हो।

5. वर्ष के मध्य परिस्थितियों के अनुसार उचित अवसर पर स्थानीय सालाना समारोह आयोजित करके ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल के ज्ञान तथा व्यायाम संबंधी मुक़ाबले कराए गए हों।

6. वर्ष के मध्य समस्त पदाधिकारियों ने कार्यक्रम और बुनियादी नियमावली का अध्ययन किया हो तथा पदाधिकारियों के रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करके उनकी परीक्षा ली गई हो और परिणाम केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाया गया हो।

शिक्षा विभाग (130 अंक)

1. शिक्षा क्लासिज़ वर्ष के मध्य सामूहिक तौर पर कम से कम 75 दिन की अवधि तक जारी रही हों जबकि क़ादियान के लिए यह अवधि कम से कम 100 दिन होगी ।

2. नमाज़ अनुवाद सहित जानने वाले ख़ुद्दाम की संख्या 55% हो जबकि क़ादियान के लिए 75% मापदण्ड नियुक्त किया गया है, शेष ख़ुद्दाम सीख रहे हों (जानने और सीखने वाले ख़ुद्दाम के नाम सालाना रिपोर्ट में लिखे गए हों)

3. क़ुर्आन करीम नाज़िरा 75% ख़ुद्दाम जानते हों जबकि क़ादियान के लिए यह मापदण्ड 90% होगा और शेष समस्त ख़ुद्दाम क़ुर्आन करीम नाज़िरा सीख रहे हों (जानने वाले और सीखने वाले ख़ुद्दाम के नाम सालाना रिपोर्ट में लिखे गए हों)

4. ख़ुद्दाम क़ुर्आन करीम का अनुवाद जानते हों जबकि क़ादियान के लिए यह मापदण्ड 75% होगा ।

5. सूरह अलबक़रह की प्रारंभिक 17 आयतें और पारा "अम्मा" की अन्तिम 10 सूरह कम से कम 75% ख़ुद्दाम को मौखिक याद हों जबकि क़ादियान के लिए यह मापदण्ड 90% होगा।

6. केन्द्रीय दीनी (धार्मिक) निसाब पाठ्यक्रम की परीक्षा में 60% ख़ुद्दाम ने भाग लिया हो । क़ादियान के लिए यह मापदण्ड 75% होगा।

7. मक़ाला लिखने के मुक़ाबले में प्रत्येक मज्लिस का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है । यद्यपि जिन मज्लिसों का नामांकन 50 से अधिक है उनमें प्रत्येक 40 और उसकी संख्या पर एक ख़ादिम ने इनामी मक़ाला लिखा हो।

8. दो माही किताबों के अध्ययन की स्कीम में कम से कम 40% ख़ुद्दाम ने भाग लिया हो (ऐसे ख़ुद्दाम के नाम सालाना रिपोर्ट में नियमित रूप में केन्द्रीय कार्यालय को भेजे जाएं)

9. क्या "बज़्मे हुस्ने बयान" और "अन्सार सुल्तानुल क़लम" की स्थापना है ? और ज्ञान संबंधी मुक़ाबले कराए गए ।

प्रशिक्षण विभाग (140 अंक)

1. प्रति माह कम से कम एक प्रशिक्षण मीटिंग आयोजित की गई हो जिस में ख़ुद्दाम की उपस्थिति कम से कम 50% रही हो जबकि क़ादियान के लिए यह मापदण्ड कम से कम 60% होगा (उपस्थिति का उल्लेख मासिक रिपोर्टों में करना आवश्यक है) ।

2. वर्ष के मध्य मौसमी छुट्टियों में या यथायोग्य कम से कम एक बार पन्द्रह दिवसीय प्रशिक्षण क्लास का प्रबन्ध किया गया हो और क्लास में भाग लेने वाले समस्त ख़ुद्दाम के निर्धारित निसाब (पाठ्यक्रम) के अनुसार परीक्षा ली गई हो (परीक्षा देने वाले ख़ुद्दाम के नाम केन्द्रीय कार्यालय को भेजे गए हों)

3. प्रतिमाह मज्लिसे आमिला (कार्यकारिणी समिति) की एक मीटिंग नमाज़ों में उपस्थिति से संबंधित की गई हो ।

4. जमाअत के साथ नमाज़ में ख़ुद्दाम की उपस्थिति कम से कम 60% हो यद्यपि क़ादियान के लिए यह मापदण्ड कम से कम 70% होगा ।

5. तहरीक वक़्फ़ आर्ज़ी (अस्थायी वक़्फ़) के अन्तर्गत कम से कम 5%

ख़ुद्दाम ने वर्ष के मध्य दो सप्ताह तक का वक़्फ़ (समर्पण) किया हो ।

6. हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला की सेवा में मज्लिस के 100% ख़ुद्दाम ने दुआ के लिए पत्र भिजवाए हों।

7. मज्लिस के 100% ख़ुद्दाम हुज़ूर अनवर का ख़ुत्बा जुमा सुनते हों और 50% ख़ुद्दाम ने अपनी जमाअत के अतिरिक्त मिलने वालों को एम.टी.ए. के प्रोग्राम दिखाए हों।

8. 60% ख़ुद्दाम वसीयत की व्यवस्था में सम्मिलत हों तथा उनकी सूची केन्द्रीय कार्यालय को भेजी गई हो ।

9. मज्लिस की ओर से प्रशिक्षण संबंधी विषयों पर पम्फलट प्रकाशित किए गए हों।

10. प्रतिमाह कम से कम एक बार जमाअत के साथ नमाज़ तहज्जुद का प्रबन्ध किया गया हो ।

11. 100% (शतप्रतिशत) ख़ुद्दाम पांच समय की नमाज़ों के पाबन्द हों।

प्रचार विभाग (120 अंक)

1. वर्ष के मध्य कम से कम दो "प्रचार सप्ताह" मनाए गए हों जिन में कम से कम 50% ख़ुद्दाम सम्मिलित हुए हों।

2. दा"वत इलल्लाह के संबंध में प्रयास :-

(☆)SMS तथाE. Mail या इन्ट्रनेट के द्वारा कम से कम 30 प्रतिशत ख़ुद्दाम ने जमाअत के बाहर के दोस्तों को सच्चाई का पैग़ाम पहुचाया हो। भाग लने वाले प्रत्येक ख़ुद्दाम ने कम से कम दस लोगों तक सन्देश पंहचाया हो(निर्दिष्ट संख्या लिखी हो)

(☆) इस महीने में 10 प्रतिशत ख़ुद्दाम ने कैसैटस बांटे हों प्रत्येक ख़ादिम एक डी.वी.डी अथवा कैसेटस सदस्यों की निश्चित संख्या ।

(☆) प्रश्नोत्तर की मज्लिसें (निश्चित संख्या), प्रत्येक तीन महीने में आयोजित की गई हों।

(☆) इस महीने में कम से कम 5 प्रतिशत ख़ुद्दाम ने तबलीग़ी ख़त लिखे हों (नाम तथा ठिकाना लिखा जाए)

(☆) प्रत्येक महीना में एक बुक स्टाल लगाया जाए। (दिन तथा विवरण

लिखें)

(☆) प्रत्येक महीना एक तब्लीग़ी जलसा आयोजित किया जाए। (दिन तथा विवरण लिखें)

3. मज्लिस के कम से कम 10% ख़ुद्दाम ने तहरीक दा"वत इलल्लाह पर लब्बैक कहते हुए वर्ष के मध्य कम से कम एक बैअत कराई हो । ऐसे ख़ुद्दाम के नाम और बैअत फार्म की प्रति मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया, भारत में भिजवाई गई हो ।

4. ख़ुद्दाम अपने निकटवर्ती क्षेत्र में वर्ष में कम से कम एक बार प्रचार के जिहाद में कम से कम दस दिन के लिए गए हों (ऐसे ख़ुद्दाम के नाम केन्द्रीय दफतर को भेजे जाएं)

5. ख़ुदा की ओर दा"वत देने वाले ख़ुद्दाम के लिए प्रचार संबंधी क्लासिज़ का आयोजन किया गया हो।

6. जलसा सालाना तथा केन्द्रीय समारोह के अवसर पर स्थानीय मज्लिस के ख़र्च पर जमाअती लोगों के अतिरिक्त कितने लोगों को क़ादियान लाया गया।

नवीन बैअत-करने वालों का प्रशिक्षण विभाग (40 अंक)

1. अपनी मज्लिस के नए बैअत कर्ता ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल की सूची विवरण सहित केन्द्रीय कार्यालय को भेजी गई हो।

2. नए बैअत कर्ताओं की प्रशिक्षण क्लासिज़ का आयोजन किया गया हो।

3. कम से कम पांच नए बैअत-कर्ता मज्लिसों में आर्ज़ी (अस्थायी) वक़्फ़ के द्वारा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया हो।

4. पांच नए बैअत-कर्ता ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल को जल्सा सालाना तथा केन्द्रीय समारोह में स्थानीय मज्लिस के ख़र्च पर क़ादियान लाया गया हो।

5. नए बैअत-कर्ता ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल सीधे एम.टी.ए. से हुज़ूर अनवर का ख़ुत्बा सुनते हों ।

6. नए बैअत करने वाले ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल ने हुज़ूर अनवर की सेवा में दुआ के लिए पत्र लिखे हों ।

7. पांच समय की नमाज़ों तथा क़ुर्आन करीम की तिलावत करने से संबंधित प्रयास, कितने नए बैअतकर्ता ख़ुद्दाम प्रभावी ख़ुद्दाम ख़ुदा की ओर दा"वत देने

वाले बन चुके हैं ।

8. कितने नए बैअत करने वाले प्रभावकारी दाई इलल्लाह बन चुके हैं।

विद्यार्थियों के मामलों का विभाग (70 अंक)

1. Ahmadiyya Students Association की स्थापना की गई हो।

2. अहमदी विद्यार्थियों की सूची विवरण सहित केन्द्रीय कार्यालय को भेजी गई हो।

3. शिक्षा के महत्व, लाभ और आवश्यकता पर वर्ष में कम से कम दो मीटिंग करवाई गई हों।

4. फ्री कोचिग क्लासिज़ का आयोजन किया गया हो।

5. विद्यार्थियों के मार्ग-दर्शन हेतु Career Councilling की व्यवस्था की गई हो।

6. Career Planning के अन्तर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारियाँ पहुँचाने और विद्यार्थियों के मार्ग-दर्शन हेतु "मिश्कात" और "राहे ईमान" में लेख प्रकाशित करवाए गए हों । प्रकाशित लेखों की कटिंग मासिक रिपोर्ट के साथ भिजवाई गई हों।

7. अहमदी विद्यार्थियों के नैतिक और धार्मिक स्तर को उत्तम बनाने तथा हमेशा जमाअत से सम्पर्क बनाए रखने के लिए प्रयास।

वक़ारे अमल (श्रमदान) विभाग (20 अंक)

1. प्रतिमाह कम से कम एक सामूहिक वक़ारे अमल किया गया हो तथा इनमें से दो वक़ारे अमल आदर्श श्रेणी के हों। समस्त वक़ारे अमलों में अनुपातिक उपस्थिति कम से कम 60% रही हो।

2. वर्ष के मध्य वृक्षारोपण सप्ताह मनाया गया हो जिसमें मज्लिस के कम से कम 30% ख़ुद्दाम ने भाग लिया हो।

अत्फ़ाल विभाग (40 अंक)

1. जिस स्थान पर भी तीन या तीन से अधिक अत्फ़ाल हों वहाँ उनकी कर्मठ और सचेष्ट संगठन "मज्लिस अत्फ़ालुल अहमदिया" स्थापित हो।

2. नियमित रूप से प्रति माह अत्फ़ाल की रिपोर्टें कवाएफ (विवरण) फार्म

पर भेजी गई हो।

3. सालाना कार्यकुशलता रिपोर्ट 15 जुलाई तक केन्द्र को भिजवाई गई हो।

4. वक़्फ़े जदीद के चन्दे में 100% अत्फ़ाल सम्मिलित हों और अदायगी भी कर रहे हों । हुज़ूरे अनवर के उपदेश अनुसार नन्हें मुजाहिदीन प्रथम स्तर के लिए 200/- रुपए और द्वितीय स्तर के लिए 100/- रुपए चन्दा वक़्फ़े जदीद के वादों की सूची बना कर 31 जनवरी तक केन्द्रीय कार्यालय में भिजवाई गई हो तथा उसकी शत-प्रतिशत वुसूली भी की गई हो।

माल विभाग (110 अंक)

1. सितम्बर माह के अन्त तक नामांकन फ़ार्म ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल तथा बजट निर्धारण फार्म ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल भरकर केन्द्रीय कार्यालय को भिजवा दिए गए हों।

2. बजट के अनुसार ख़ुद्दाम और अत्फाल की सदस्यता शुल्क और चन्दा इज्तिमा (समारोह) की वुसूली 100% रही हो अर्थात् कोई ख़ादिम बक़ायादार न रहे।

3. सदस्यता शुल्क की 78% राशि और इज्तिमा (समारोह) के चन्दे की शत प्रतिशत राशि केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाई गई हो, मुहताजों की सहायता और अनुदानों में ख़ुद्दाम का भाग हो।

4. वुसूल की गई राशि आहिस्ता आहिस्ता प्रतिमाह केन्द्र को भिजवाई जाती रही हो।

5. 60% ख़ुद्दाम तहरीके जदीद के आर्थिक जिहाद में सम्मिलित हों। भाग लेने वाले ख़ुद्दाम की सूची भिजवाई गई हो।

6. वर्ष के मध्य कम से कम दो बार दोनों छ: माहियों में ““माल सप्ताह” मनाए गए हों।

7. रोज़नामचे और खाते में चन्दों का विवरण खातों के अनुक्रम में लिखा गया हो और स्थानीय मुहासिब से प्रत्येक तिमाही के पश्चात पड़ताल कराई गई हो।

स्वास्थ्य विभाग (50 अंक)

1. Ahmadiyya Sprorts Association की स्थापना की गई

हो।

2. इस वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक खेलों के प्रोग्राम हुए। खेले गए खेलों की संख्या।

3. वर्ष में एक बार समस्त ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल का चिकित्सा टेस्ट कराया गया हो (सालाना रिपोर्ट के साथ मेडीकल चैकअप की रिपोर्ट और रिकार्ड भिजवाया गया हो।)

4. वर्ष में कम से कम दो बार सामूहिक भोजन (कुलू जमीआ) और एक बार पिकनिक प्रोग्राम बनाया गया हो।

उद्योग और व्यापार विभाग (40 अंक)

1. वर्ष के मध्य बेरोज़गार ख़ुद्दाम में से 50% ख़ुद्दाम को काम दिलाया गया हो (उन बेरोज़गार ख़ुद्दाम की सूची सालाना रिपोर्ट में सम्मिलित की जाए)

2. निर्गुण (बेहुनर) ख़ुद्दाम में से 50% ख़ुद्दाम को कोई कला सिखाई गई हो (उनकी सूची सालाना रिपोर्ट में संलग्न की जाए)

नोट :- उपर्युक्त हर दो पहलुओं के अन्तर्गत ख़ुद्दाम के नाम उनके व्यवसाय और कला सहित लिखे जाएं।

3. औद्योगिक प्रदर्शिनी का प्रबन्ध किया गया हो।

4. कलाओं में निपुण लोगों की सूची केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाई गई हो।

प्रकाशन विभाग (80 अंक)

1. प्रकाशन के विकास संबंधी प्रयासों के बारे में केन्द्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं "बदर", "मिश्कात", "राहे ईमान" तथा स्थानीय जमाअती अख़बार और पत्रिकाएं।

2. प्रकाशन के रूप में कोई विशेष और महत्त्वपूर्ण कार्य जैसे फोल्डर्स या पम्फ़लट इत्यादि । (सालाना या मासिक रिपोर्ट के साथ ही पम्फ़लट या फोल्डर संलग्न किए जाएं)

3. मज्लिस के कम से कम 50% ख़ुद्दाम पत्रिका "मिश्कात" के ख़रीदार हों और 2% ख़ुद्दाम ने "मिश्कात" पत्रिका को प्रचारार्थ जारी करवाया हो।

4. मज्लिस के अधिक से अधिक ख़ुद्दाम से जमाअत के ज़ैली तथा

स्थानीय अख़बारों तथा पत्रिकाओं में निबन्ध लिखवाए गए हों। जिन ख़ुद्दाम के निबन्ध अख़बारों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं उन के निबन्ध की कापी मासिक रिपोर्ट में शामिल की जाए।

5. वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय पत्रिकाएं मिश्कात, राहे ईमान, जारी करवाने वाले ख़ुद्दाम की अलग अलग सूचि केन्द्र में भिजवाई जाए। कम से कम पांच ख़ुद्दाम पर एक पत्रिका जारी करवाई गई हो।

6 वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय स्थानीय, अख़बार तथा पत्रिकाएं जारी करवाने वाले ख़ुद्दाम की अलग अलग सूचि केन्द्र में भिजवाई जाए। कम से कम दस ख़ुद्दाम पर एक पत्रिका/ अख़बार जारी करवाया गया हो।

7. स्थानीय अख़बारों में मज्लिस की तब्लीग़ी तथा सेवा के कार्यों की ख़बरें प्रकाशित करवाई गई हों. मासिक रिपोर्ट में इस के कटिंग भिजवाई जाए।

ख़िदमते ख़ल्क (जनसेवा) विभाग (70 अंक)

1. ग़रीबों और मुहताजों की सहायता,100 प्रतिशत ख़ुद्दाम ने की हो। (निर्धारित संख्या लिखें)

☆ प्राथमिक चिकित्सा तथा जन सेवा में100 प्रतिशत ख़ुद्दाम ने भाग लिया हो। (निर्धारित संख्या लिखें)

☆ प्रत्येक मज्लिस ने प्रत्येक तीन महीने में 1 और साल में 4 मेडीकल कैम्प आयोजित किए हों। (कार्यों के निश्चित विवरण और संख्या अलग काग़ज़ पर वर्णन करें)

☆ प्रत्येक मज्लिस के 10 प्रतिशत ख़ुद्दाम ने रक्त दान किया हो।(कार्यों के निश्चित विवरण और संख्या अलग कागज़ पर वर्णन करें।)

2. बुक बैंक की स्थापना की गई हो। जिन ख़ुद्दाम तथा अत्फाल को बुक बैंक के द्वारा पुस्तकें दी गई हों और इस का विवरण मासिक रिपोर्ट के साथ भिजवाया गया हो।

3. मज्लिस के समस्त ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल की बल्ड ग्रुपिंग करके उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालय को भेजी गई हो।

4. मज्लिस में ताहिर होम्यो डिस्पेंसरी की स्थापना। इस के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के साथ भिजवाई जाए।

5. प्रत्येक 6 महीनें में एक बार "स्वास्थ्य रक्षा" के जलसा का आयोजन किया गया हो।

6. सरकारी अस्पताल में "ख़ुद्दामुल अहमदिया खिदमते ख़ल्क़" के नाम से मज्लिस ने अपना नाम रजिस्टर कराया हो।

सामान्य विभाग (20 अंक)

1.प्रत्येक जुमे के दिन नमाज़ केन्द्रों में ख़ुद्दाम सुरक्षात्मक पहरा देते हों।

2.केन्द्रीय जलसा सालाना केन्द्रीय समारोह के अवसर पर "ख़िदमते ख़ल्क़" विभाग के अन्तर्गत सेवाएं की हों।

3.प्रति महीने सामान्य विभाग की रिपोर्ट भिजवाई गई हो।

मुहासिबा (हिसाब की पड़ताल) विभाग (50 अंक)

1.प्रतिमाह मज्लिस के हिसाबों की पड़ताल की गई हो और मासिक कार्यकुशलता रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया गया हो।

2.प्रत्येक तिमाही में स्थानीय मुहासिब ने अपनी तिमाही रिपोर्ट सदर (अध्यक्ष) मज्लिस को भिजवाई हो।

3.मज्लिस के पिछले वर्ष के आय-व्यय की सालाना सारिणी (गोशवारा) तैयार करके केन्द्र को भिजवाई गई हो।

4.ख़ुद्दामुल अहमदिया के प्रतिनिधि के साथ उचित रूप से सहयोग किया गया हो।

कार्यालय पर प्रभाव(अंक 100)

अत्फालुल अहमदिया भारत की मज्लिसों के विशेष पुरस्कारों का स्तर

1.वर्ष के मध्य नवम्बर से सितम्बर कुल 11 माह की कार्य-कुशलता रिपोर्ट केन्द्र को प्राप्त हुई हों जिन में से 9 यथा समय हों अर्थात् प्रत्येक माह की रिपोर्ट सितम्बर की 20 तारीख़ तक भिजवा दी गई हो।

एक से अधिक मासिक रिपोर्टें एक साथ भिजवाने की स्थिति में मज्लिसों की तुलना के समय एक ही रिपोर्ट समझी जाएगी सिवाए अपवाद या आपात स्थिति के, जिसके लिए मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत के कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो।

2. कार्य-कुशलता की सालाना रिपोर्ट 15 अगस्त तक बहरहाल केन्द्रीय कार्यालय को भिजवा दी गई हो।

3. अत्फ़ाल के मुरब्बी और सेक्रेट्रीज़ की नियुक्ति की रिपोर्ट नामों सहित दिसम्बर माह में ही केन्द्रीय दफतर को भिजवा दी गई हो।

4. प्रत्येक महीने मज्लिसे आमिला की कम से कम 2 मीटिंग्स आयोजित की गई हों।

5. गत वर्ष केन्द्रीय सालाना समारोह में कम से कम 5% अत्फ़ाल सम्मिलित हुए हों जबकि क़ादियान के लिए मापदण्ड 80% होगा।

6. सितम्बर माह के अन्त तक नामांकन फ़ार्म भरकर भिजवा दिया गया हो।

7. प्रतिमाह कम से कम एक सामूहिक प्रशिक्षण मीटिंग रखी गई हो।

8. पन्द्रह दिवसीय प्रशिक्षण क्लासिज़ लगाई गई हों।

9. शत-प्रतिशत अत्फ़ाल एम.टी.ए. देखते हों विशेषकर हुज़ूरे अनवर का ख़ुत्बा सुनते हों।

10. 60% अत्फ़ाल ने हुज़ूर अनवर की सेवा में दुआ के लिए पत्र लिखे हों।

11. वर्ष के मध्य दोनों छ: महीनों में दो बार यौमे वालदैन मनाया गया हो।

12. वर्ष की प्रथम छ: माही में कम से कम एक बार "अत्फ़ाल का सप्ताह" मनाया गया हो । जिसमें ज्ञान, व्यायाम संबंधी मुक़ाबले करवाए गए हों।

13.100% अत्फ़ाल को कलिमा तय्यिबा आता हो ।

14. प्रथम स्तर के कम से कम 50% अत्फ़ाल क़ुर्आन करीम नाज़िरा (देख कर पढ़ना) पढ़ चुके हों तथा शेष 50% पढ़ रहे हों जब कि क़ादियान के लिए यह मापदण्ड 70% होगा।

15. द्वितीय स्तर के 75% अत्फ़ाल क़ायदा यस्सरनल क़ुर्आन पढ़ चुके हों और शेष पढ़ रहे हों।

16. प्रथम स्तर के 100% अत्फ़ाल सादा नमाज़ जानते हों जबकि द्वितीय स्तर के 50% अत्फ़ाल सादा नमाज़ जानते हों और शेष 50% सीख रहे हों। क़ादियान के लिए यह मापदण्ड 70% होगा और शेष सीख रहे हों।

17. धार्मिक परीक्षा (दीनी इम्तिहान) में कम से कम 50% अत्फ़ाल सम्मिलित हुए हों जब कि इस परीक्षा में क़ादियान के कम से कम 60% अत्फ़ाल सम्मिलित होने चाहिएं।

18. 100% अत्फ़ाल वक़्फ़े जदीद के चन्दे की अदायगी करते हों और प्रथम स्तर के अत्फ़ाल नन्हें मुजाहिदीन प्रथम श्रेणी के लिए 200/- रुपए और द्वितीय श्रेणी के लिए 100/- रुपए वक़्फ़े जदीद के चन्दे के वादों की सूची बनाकर 31 जनवरी तक केन्द्रीय कार्यालय को भिजवा दी गई हो तथा वादों के अनुसार चन्दे की शत-प्रतिशत वुसूली भी की गई हो।

19. बजट निर्धारण फ़ार्म पूर्ण करके दिसम्बर माह के अन्त तक कार्यालय को भेज दिया हो।

20. मज्लिस अत्फ़ाल के चन्दे की वुसूली 100% हो।

21. प्रति माह कम से कम एक सामूहिक वक़ार अमल किया गया हो।

22. ख़िदमते ख़ल्क़ के लिए प्रयास।

23. शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास।

24.प्रकाशन हेतु प्रयास।

25. समस्त अत्फ़ाल को चिकित्सकीय जाँच कराई गई हो।

(क) मासिक और सालाना रिपोर्टों का निरीक्षण करते समय सभी पहलुओं की दृष्टि से अंक दिए जाएंगे।

(ख) इसी प्रकार यदि मासिक रिपोर्ट फ़ार्म में सम्मिलित किसी विभाग के अन्तर्गत कोई विशेष कार्य किया गया हो तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट भी पृथक काग़ज़ पर लिखी जाए।

(ग) जिस कार्य-कुशलता का मासिक रिपोर्ट में उल्लेख न हो अपितु केवल सालाना रिपोर्ट में उल्लेख हो उस से अंक कट सकते हैं।

(घ) विशेष पुरस्कार के स्तर के अनुसार जिन पहलुओं का मासिक रिपोर्ट फ़ार्म में उल्लेख नहीं उनकी रिपोर्ट पृथक काग़ज़ पर प्रतिमाह मज्लिसों की ओर से निश्चित विवरण के साथ आना चाहिए।

प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइदीन के ध्यान देने योग्य

1. अपने प्रान्त के समस्त पदाधिकारी मज्लिस से "दस्तूरे असासी" तथा

ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल तथा विशेष पुरस्कार के मापदण्ड का अध्ययन अवश्य करवाएं और उसकी रिफ्रेशर क्लास लगाकर उसकी नियमित परीक्षा लें।

2. आपके प्रान्त की जिन मज्लिसों में क़ाइद का निर्वाचन निर्धारित समय पर नहीं हुआ वहाँ नियमानुसार तुरन्त निर्वाचन करवा कर रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाएं।

3. जारी वर्ष की नई मज्लिसे आमिला प्रान्तीय/मंडलीय यथाशीघ्र बनाकर सदर मज्लिस से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

4. प्रति माह नियमित रूप से प्रान्तीय स्तर पर होने वाली कार्य-कुशलता रिपोर्ट अगले माह की 20, तारीख तक केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाएं।

5. इसी प्रकार प्रान्तीय/मंडलीय सालाना रिपोर्ट 15 अगस्त तक केन्द्रीय कार्यालय को भेजें।

6. महीने में कम से कम एक बार प्रान्तीय मज्लिसे आमिला तथा स्थानीय क़ाइदीन की मीटिंग आयोजित करके कार्यों का निरीक्षण करें तथा पदाधिकरियों को ध्यान दिलाएं। मज्लिस के कार्यों में उत्तमता उत्पन्न करने के लिए प्रस्ताव और परामर्श भी लें तथा पत्रों, सरकुलर्ज़, फोन तथा फैक्स के द्वारा भी ध्यान दिलाया जा सकता है।

7. मज्लिसों में जागरुकता पैदा करने और उनकी शिक्षा-दीक्षा तथा अन्य परिस्थितियों का निरीक्षण करने के लिए वर्ष में कम से कम तीन बार अपने प्रान्त/मंडल की मज्लिसों का भ्रमण करें और उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाएं।

8. इस व्यवस्था को शत-प्रतिशत सुदृढ़ करने का प्रयास करें कि आप के प्रान्त/मंडल की समस्त मज्लिसें प्रति माह नियमित रूप से अपनी कार्य-कुशलता रिपोर्ट केन्द्र कार्यालय को यथा समय भिजवाए तथा इसी प्रकार नामांकन और बजट का निर्धारण 31, सितम्बर तक भिजवा दें।

9. इस बात की पड़ताल करते रहें कि कार्यक्रम तथा केन्द्र की ओर से भेजे गए सरकुलर्ज़ के अनुसार आप के प्रान्त/मंडल की समस्त मज्लिसें कार्य कर रही हैं या नहीं।

10. प्रान्तीय/मंडलीय समारोह अवश्य आयोजित करें और प्रयत्न करें कि

इस समरोह में प्रत्येक मज्लिस का प्रतिनिधित्व हो।

11. नए अहमदियों को भी समारोह में सम्मिलित करने का हर संभव प्रयत्न करें।

12. सुविधा के अनुसार अपने क्षेत्र को ज़ोन में विभाजित करके प्रान्तीय नायब क़ाइद नियुक्त करके सदर मज्लिस से स्वीकृति प्राप्त कर लें ताकि समस्त मज्लिसों की उत्तम रंग में देखभाल हो सके।

13. जो ख़ुद्दाम आपके प्रान्त/मंडल को छोड़ कर कहीं और चले जाएं तो ऐसे ख़ुद्दाम की सूचना यथा समय केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाएं और ऐसे ख़ुद्दाम के नए पते भी भेजें।

14. अपने प्रान्त/मंडल से अधिक से अधिक प्रतिनिधियों को केन्द्रीय सालाना समारोह में क़ादियान लाएं।

15. आप अपने प्रान्त/मंडल में एम.टी.ए. की व्यवस्था को सदृढ़ करें । कोई भी मज्लिस ऐसी न रहे जहां एम.टी.ए. न हो । जिन स्थानों पर एम.टी.ए. नहीं है उसके क्या कारण हैं मालूम करें और एम.टी.ए. लगाने का प्रयत्न करें तथा साथ ही इस बात की भी देखभाल करें कि समस्त ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल एम.टी.ए. से भरपूर लाभ-प्राप्त करने वाले हों विशेषकर हुज़ूर अन्वर का ख़ुत्बा सीधा एम.टी.ए. से सुनते हों।

16. प्रयास करें कि आप के प्रान्त/मंडल के सभी ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल पाँचों समय की नमाज़ों के पाबन्द हो जाएं और जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के अभ्यस्त हो जाएँ तथा प्रतिदिन क़ुर्आन करीम की तिलावत करने वाले हों।

17. मौसमी छुट्टियों में ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल के प्रशिक्षण के लिए प्रान्तीय/मंडलीय स्तर पर पन्द्रह दिवसीय प्रशिक्षण केम्प का आयोजन करें और नए बैअत करने वालों को भी इस केम्प में सम्मिलित करें।

18. अपने प्रान्त/मंडल की समस्त मज्लिसों में क़ुर्आनी शिक्षा की क्लासिज़ को जारी करें ताकि समस्त ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल को उचित उच्चारण के साथ क़ुर्आन करीम पढ़ना आ जाए।

19. वक़्फ़े आर्ज़ी की स्कीम के अन्तर्गत ठोस और प्रभावी प्रोगाम बना कर नए बैअतकर्ताओं की मज्लिसों में शिक्षा और प्रशिक्षण देने के कार्य करें।

20. भ्रमण, पत्र, फोन, फैक्स इत्यादि माध्यमों से मज्लिसों के साथ निरन्तर सम्पर्क रखने का प्रयत्न करें।

21. अपने प्रान्त के वाक़िफ़ीन नौ ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल की उत्तम रंग में शिक्षा-दीक्षा तथा देखभाल का प्रबन्ध करें।

22. जिन नए बैअत-करने वालों की मज्लिसों से सम्पर्क टूट चुका है उन्हें पूर्ववत् करने का भरपूर प्रयत्न करें और जिन नए बैअत-करने वालों की मज्लिसों से सम्पर्क पूर्ववत् हो जाए उनकी सूची केन्द्र को भिजवाएं।

23. नए बैअत-कर्ता ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल को जमाअती, व्यवस्थागत तथा जमाअत के सदस्यों को सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सम्मिलित करें।

24. नए बैअत-करने वालों से सम्पर्क के लिए प्रान्तीय/मंडलीय स्तर पर एक कमेटी बनाएं तथा कमेटी के सदस्यों की स्वीकृति सदर मज्लिस से प्राप्त करें तथा व्यवस्थित प्रोग्राम के अन्तर्गत नए बैअत करने वालों के प्रशिक्षण का कार्य करें।

25. आप के प्रान्त/मंडल के अधिक से अधिक नए बैअत कर्ताओं को पवित्र स्थानों के दर्शन हेतु केन्द्रीय समारोहों तथा जलसा सालाना एवं अन्य अवसरों पर क़ादियान दारुल अमान में लाएं।

26. अपने प्रान्त/मंडल में नई मज्लिसों की स्थापना के लिए भरसक प्रयत्न करें।

27. प्रयास करें कि आप के प्रान्त/मंडल में कोई भी ख़ादिम +2 से पूर्व शिक्षा न छोड़े।

28. विद्यार्थियों के मार्ग-दर्शन के लिए प्रान्तीय/मंडलीय स्तर पर Career Counselling का प्रबंध करें और जो ख़ुद्दाम उत्तम और श्रेष्ठ प्रतिभा रखने वाले हैं उनका उचित क्षेत्र में मार्गदर्शन करें और परिस्थिति के अनुसार सहायता भी करें तथा फ्री कोचिग क्लासिज़ का प्रबंध भी करें।

29. केन्द्रीय दीनी निसाब (धार्मिक पाठ्यक्रम) की परीक्षा में आप के प्रान्त/मंडल की बड़ी मज्लिसें जहाँ अधिक संख्या में अहमदी छात्र हों और अधिक कालिज हों वहाँ Ahmadiyya Students Association

स्थापित करें और वहां जलसे, सेमीनार, और अन्य प्रोग्रामों का आयोजन कराएं।

30. प्रान्तीय/मंडलीय स्तर पर शिक्षा की आवश्यकता, लाभ और महत्व पर वर्ष में कम से कम एक बार सेमीनार आयोजित करें।

31. आपके प्रान्त/मंडल की बड़ी मज्लिसों में रक्त-दान करने वालों की टीम बनाएं और सरकारी अस्पताल में "ख़ुद्दामुल अहमदिया ख़िदमते ख़ल्क़" के नाम से मज्लिसें अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराएं।

32. अपने प्रान्त/मंडल की समस्त मज्लिसों से चन्दा ख़ुद्दाम और अत्फ़ाल की शत-प्रतिशत वुसूली करें और चन्दे की राशि केन्द्र को भिजवाएं।

33. प्रान्तीय/मंडलीय स्तर पर वर्ष में कम से कम एक बार आदर्श वक़ारे अमल का प्रोग्राम बनाएं ।

34. प्रान्तीय/मंडलीय स्तर पर एक निरीक्षण कमेटी बनाई जाए जिसमें प्रान्तीय/मंडलीय नाज़िम उद्योग तथा व्यापार तथा विभिन्न व्यवसायों से संबंध रखने वाले विशेषज्ञ सम्मिलित हों। इस कमेटी के कार्य-कर्ताओं के नामों की स्वीकृति केन्द्र से प्राप्त की जाए। "यह कमेटी आवश्यकतानुसार मीटिंग आयोजित करके बेकार ख़ुद्दाम की पड़ताल करके उनकी स्थिति के अनुसार जीविका का साधन और व्यवसाय बताए । पड़ताल कमेटी के पास व्यवसाय के अवसरों की जानकारियां भी उपलब्ध हों।

35. निकटवर्ती मज्लिसों को प्रेरित करें कि प्रान्तीय/मंडलीय समरोह के अवसर पर वे साइकिल टूर के द्वारा प्रान्तीय/मंडलीय समारोह में भाग लें।

36. हुज़ूर अन्वर के ख़ुतबात और उपदेशों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके तुरन्त प्रत्येक मज्लिस में पहुँचाएं।

37. जमाअत के संबंध में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से केन्द्र को यथासमय सूचित करते रहें।

38. प्रान्तीय/मंडलीय स्तर पर होने वाले आय-व्यय और हिसाबों की पड़ताल करके तिमाही रिपोर्ट मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत के कार्यालय को भिजवाएं।

39. अपने प्रान्त/मंडल में अत्फ़ालुल अहमदिया के संगठन को अधिक

व्यवस्थित और सुदृढ़ करें तथा अत्फ़ाल की शिक्षा और प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था करें और अत्फ़ालुल अहमदिया की प्रत्येक माह पृथक रिपोर्ट भिजवाएं ।

प्रान्तीय नेतृत्व (क्रियादत) के मध्य तुलना

प्रान्तीय/मंडलीय स्तर पर भी निम्नलिखित बातों को दृष्टिगत रखते हुए मज्लिसों की कार्य-कुशलताओं की पड़ताल की जाएगी। अत: समस्त प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइद इस ओर विशेष ध्यान दें।

1. किस प्रान्त/मंडल की ख़ुद्दाम की मज्लिसों की ओर से मासिक तथा सालाना रिपोर्ट अधिक आईं ।

2. किस प्रान्त/मंडल में अधिक मज्लिसों की स्थापना हुई तथा उसकी सूचना केन्द्रीय कार्यालय में दी गई।

3. किस प्रान्त/मंडल में ख़ुद्दाम के प्रयत्नों से अधिक बैअतें हुईं।

4. किस प्रान्त/मंडल की ओर से गतवर्ष के केन्द्रीय सालाना समरोह में अधिक प्रतिनिधित्व रहा।

5. वर्ष के मध्य किस प्रान्त/मंडल की मज्लिसों के ख़ुद्दामुल अहमदिया के चन्दे की वुसूली शत-प्रतिशत रही । इस बारे में वुसूली के क्रम का ध्यान रखा जाए और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मज्लिस अपना बजट निर्धारित करके भिजवाए।

6. किस प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइद ने मीटिंग्स आयोजित करके तथा पत्रों और सरकुलर्ज़ के माध्यम से अपनी मज्लिसों के पदाधिकारियों को ध्यान दिलाया तथा अपने प्रान्त में मज्लिस के कार्यों में तेज़ी लाने के प्रयत्न किए।

7. अपने प्रान्त/मंडल में प्रान्तीय/मंडलीय समारोह आयोजित करके रिपोर्ट भिजवाईं । समारोह में प्रान्त/मंडल की जिन मज्लिसों ने प्रतिनिधित्व किया हो उनके नामों का भी रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

8. कि प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइद ने अपनी मासिक रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाई और किस प्रान्तीय/मंडलीय क़ाइद ने अपनी सालाना रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाई।

9. प्रान्तीय/मंडलीय मज्लिसे आमिला यथासमय बनाकर स्वीकृति प्राप्त

की हो ।

10. केन्द्र से सम्पर्क।

11. किस प्रान्त/मंडल की समस्त मज्लिसों से ख़ुद्दाम तथा अत्फ़ाल के बजट निर्धारण फ़ार्म, नामांकन फ़ार्म यथासमय प्राप्त हुए ।

12. प्रान्त/मंडल के किस क़ाइद ने अपने प्रान्त/मंडल की मज्लिसों की पड़ताल इत्यादि के लिए वर्ष भर में कितने दूर किए।

13. कार्यालय पर प्रभाव।

नेतृत्व (क्रियादत) के कुछ सुनहरी नियम

1. क़ाइद या लीडर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जोश और दृढ़ संकल्प रखता है तथा अपने उद्देश्य के साथ उसे प्रेम होता है तथा इसी उद्देश्य से ऐसा ही प्रेम और जोश अपने सहकर्मियों के हृदयों में पैदा करने में तन्मय रहता है।

2. एक बुद्धिमान क़ाइद अपने उद्देश्य के सूक्ष्म विवरण तक से परिचित होता है और उन्हें अपने मस्तिष्क में सदैव उपस्थित रखता है, वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्गों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों से अवगत होता है तथा अपने सहकर्मियों को यथा अवसर उन विवरणों से सूचित करता है। वह जानता है कि वह क्या चाहता है और उसे ज्ञात है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या कराना चाहिए ।

3. मानव-स्वभाव को जानने वाला क़ाइद कार्य लेने का प्रथम तथा आधारभूत नियम प्रेम, सहानुभूति को बनाता है, परन्तु आवश्यकतानुसार सुधार का साधन धारण करने में भी कमज़ोरी नहीं दिखाता, उसके शब्दों में तेज़ी, उसके वर्णन में गंभीरता तो अवश्य होती है परन्तु आक्रोश और तेज़ी नहीं होती । प्रेम से भरपूर शब्दों तथा साहनुभूतिपूर्ण बोलने का ढंग शुद्ध हृदय श्रोता की भावनाओं को उभारता है उसकी सोई हुई शक्ति को जागृत करता तथा व्यावहारिकता की प्रेरणा देता है।

4.एक सफल "क़ाइद" के आदेश संक्षिप्त परन्तु निश्चित स्पष्ट असंदिग्ध और प्रभावी शब्दों पर आधारित होते हैं । श्रोता इन्हें सुनता और आसानी से समझता और उस पर कार्यरत होने का जोश पाता है।

5. एक सफल क़ाइद आदेशों को दोहराता है, यह सन्तुष्टि कर लेता है कि श्रोता ने उसके आदेशों के आशय को समझने में ग़लती नहीं की।

6. एक सफ़ल क़ाइद के आदेश हमेशा ठोस वाक्यों पर आधारित होते हैं (सिवाए इसके कि मूल लेख ही नकारात्मक हो) इस प्रकार के वाक्य कि ""मैं ने तुम्हें हज़ारों बार कहा है कि तुम यों न करो परन्तु फिर भी तुम ऐसा ही करते हो" तुम मजनूं हो ? तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए ? तुम अन्धे हो ? तुम्हें दिखाई नहीं देता ? मूर्ख हो ? तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं ? इत्यादि-इत्यादि उसके मुख से नहीं निकलते । वह जानता है कि उसका एक बार कहना ही पर्याप्त है, कम से कम वह प्रकट यही करता है। उसे मालूम है कि हम आयु को कार्य पर लगाते हुए उसे पट्ठों की कमज़ोरी का प्रदर्शन नहीं करना है, उसे तो अपने लोगों के पट्ठों की दृढ़ता को बढ़ाना है।

7. एक बुद्धिमान क़ाइद समय और अवसर को भी हाथ से नहीं जाने देता, शत्रु का भयंकर प्रहार अथवा कोई ऐसा घटना-चक्र जब उसके साथियों की शक्तियों और इरादों में एक सख्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और उन्हें अत्यन्त जागरूक कर देता है तो वह उन विशेष परस्थितियों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता तथा अपनी क़ौम के स्तर को भी उच्च और उच्चतम बनाता है।

संतुलन

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ि अल्लाह तआला वर्णन करते हैं :-

"मैं ख़ुद्दाम को यह बता देना चाहता हूँ कि वे केवल ख़ुद्दामुल अहमदिया के सदस्य नहीं अपितु स्थानीय जमाअत के भी सदस्य हैं। ख़ुद्दामुल अहमदिया का कार्य स्थानीय अंजुमन के कार्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त तौर पर उनके सुपुर्द किया गया है। अत: स्थानीय अंजुमन के पदाधिकारी हों चाहे वे सेक्रेटरी हों या अध्यक्ष उनके आदेशों का पालन करना प्रत्येक ख़ादिम के लिए आवश्यक है यद्यपि कोई सेक्रेटरी या कोई अध्यक्ष जमाअती तौर पर ख़ुद्दामुल अहमदिया को किसी कार्य का आदेश देने का अधिकार नहीं रखता । वह एक एक करके उन्हें कह सकता है कि आओ और अमुक कार्य करो परन्तु लोकल अंजुमन का अध्यक्ष यह नहीं कर सकता कि वह ख़ुद्दाम को ख़ुद्दाम की हैसियत से

यह कहे कि आओ और अमुक कार्य करो । उसे चाहिए कि यदि ख़ुद्दामुल अहमदिया से कोई कार्य लेना चाहता है तो उन के "ज़ईम" को सम्बोधित करे और कहे कि मुझे अमुक कार्य के लिए ख़ुद्दाम की सहायता की आवश्यकता है और "ज़ईम" का कर्तव्य है कि वह लोकल अन्जुमन के अध्यक्ष के आदेशों को पूर्ण करने का प्रयास करे ।"

(मशअले राह पृष्ठ 487-488)

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाह बिनसरेहिल अज़ीज़ के उपदेश

"अल्लाह तआला आपको सही रंग में अहमदियत के ख़ुद्दाम बनाए केवल नारे, गीत और वादे ही न हों अपितु वास्तव में आप में वह कुछ दिखाई दे जो एक अहमदी ख़ादिम में दिखाई देना चाहिए और यदि भविष्य में क्योंकि बच्चों ने भी संभालना है, छोटी आयु के ख़ुद्दाम हैं उन्होंने संभालना है, जमाअत ने ज्यों-ज्यों इन्शाअल्लाह फैलना है ये परिवर्तन न किए तो फिर जमाअत तो उन्नति करेगी इन्शाअल्लाहा परन्तु आपके अपने क्षेत्रों में आपको वंचित होने का अहसास होने लगेगा, क्योंकि भविष्य में ख़ुद्दामुल अहमदिया के दायित्व भी बढ़ेंगे जैसा कि मैंने कहा, जमाअत के फैलने के साथ-साथ।

अत: अपने दायित्व को समझें, अपने स्थान को समझें और यदि आपने अपने स्थान को समझ लिया, अपने दायित्वों को समझ लिया तो फिर शत्रु अहमदियत को समाप्त करने की सहस्त्रों सहस्त्रों चालें चले वह कभी सफल नहीं हो सकता, शत्रु चाहे जितनी चाहे शक्ति लगा ले वह जमाअत को हानि नहीं पहुँचा सकता । अत: अहमदी नौजवानो और बच्चो ! उठो और अपनी इबादतों के स्तर को भी ऊंचा करो और अपने शिष्टाचारों के स्तर भी ऊँचे करो ।

अल्लाह तआला आप सब को इसकी सामथ्र्य प्रदान करे ।"

(सालाना समारोह ख़ुद्दामुल अहमदिया यू.के. 19, सितम्बर सन् 2004

का अन्तिम भाषण)

☆ ☆ ☆